हमारा गाँव हमारी योजना

बिहार में गहन सहभागी योजना अभ्यास (IPPE-II) एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण की कार्यनीति

2016-2017

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग, बिहार

JEEViKA

Mahatma Gandhi NREGA

संकलन एवं डिजाइन :
कम्युनिकेशन टीम, जीविका

प्रकाशक :
ग्रामीण विकास विभाग
पंचायती राज विभाग
जीविका

हमारा गाँव
हमारी योजना

बिहार में गहन सहभागी योजना अभ्यास (IPPE-II) एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण की कार्यनीति

2016-2017

• ग्रामीण विकास विभाग • पंचायती राज विभाग • जीविका

बिहार सरकार

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री
बिहार सरकार

बिहार सरकार

संदेश

विकसित भारत की परिकल्पना, बिहार के विकास के बिना अपूर्ण है। बिहार की ताकत है इसके परिश्रमी लोग खासकर महिलाएँ और नौजवान, इसकी उपजाऊ भूमि और आबो-हवा, इसके जल स्रोत तथा इसका समृद्ध विरासत और गौरवशाली इतिहास। बिहार की तरक्की के लिए राज्य सरकार ने अनेक प्रयास किये है जिससे बहुत कुछ हासिल हुआ है। राज्य के प्रगतिपथ के जिस मील के पत्थर पर हम पहुंचे है वहा से आगे बढ़ने के लिए चल रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ नये संकल्पों पर काम करना होगा।

सरकार द्वारा इस वर्ष बिहार के सभी पंचायतों में गहन सहभागी योजना अभ्यास का दूसरा संस्करण (IPPE 2) तथा ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण-जन अपने संसाधनों, आजीविकाओं और जरूरतों पर आधारित राज्य ग्रामीण विकास योजना बनायेंगे। साथ ही ग्राम पंचायतें, पंचायत की विकास योजनाएं तैयार करेंगी। इन योजनाओं का कार्यान्वियन मनरेगा, 14वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि व ग्रामीण विकास के लिए अन्य श्रोतों से प्राप्त राशि से किया जायेगा। इस अभियान में गांव के विभिन्न हित धारकों विशेषकर महिलाओं और वंचित वर्गों की सक्रिय भागीदारी से उपलब्ध संसाधनों एवं जरूरतों का आकलन करते हुए आर्जीविका हेतु उपयुक्त योजना बनायी जाएगी। यह अभियान, पूरी प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाने एवं जन भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। विभिन्न हितधारकों यथा ग्रामीणों, स्वयं सहायता समूहों व ग्राम पंचायतों की संपूर्ण भागीदारी से ही यह कार्यक्रम सफ़ल हो पाएगा।

आशा करता हूँ कि समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए यह एक ठोस कार्यक्रम साबित होगा। इस महत्वपूर्ण प्रयास की सफलता के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग को मैं शुभकामनायें देता हूँ।

(श्री नीतीश कुमार)

श्रवण कुमार
मंत्री
ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

संदेश

राज्य के विकास की मजबूत नींव गाँव के समग्र विकास पर आधारित है। गाँव का विकास ग्रामीणों की आपसी सहभागिता, एक-दूसरे से मेल-मिलाप एवं परस्पर भाईचारा के साथ-साथ ग्रामीणों द्वारा स्थानीय शासन यानि ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों में अपने सक्रिय एवं साकारात्मक भागीदारी पर निर्भर होती है। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण अपने जीवन से जुड़े आजीविका संबंधी कार्यक्रम, विकास संबंधी कार्यक्रम एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम के नियोजन, कार्यान्वियन एवं पर्यवेक्षण में भागीदार बनें।

गत वर्ष के अनुभव का लाभ लेते हुए पुनः इस वर्ष भी बिहार के सभी गाँवों में गहन सहभागी योजना, अभ्यास-II का आयोजन हो रहा है जिसमें ग्रामीण अपने उपलब्ध संसाधनों, आजीविकाओं एवं जरूरतों को ध्यान में रखकर मनरेगा श्रम-बजट, वार्षिक कार्ययोजना-2016-17 एवं राज्य ग्रामीण विकास तथा ग्राम पंचायत के विकास योजना का स्वरूप निर्धारित करेंगे जो ग्रामीणों का, ग्रामीण द्वारा एवं ग्रामीणों के लिए तैयार योजना होगी तथा इन सभी योजनाओं का कार्यान्वियन मनरेगा, पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्य कार्यक्रमों के अभिसरण से किया जा सकेगा।

आशा है कि 'गहन सहभागी योजना अभ्यास' के लिए प्रशिक्षित कर्मियों के सहयोग से प्रत्येक गाँव के ग्रामीण एवं पंचायत प्रतिनिधि अपनी आजीविकाओं एवं बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए योजनाओं का चयन एवं उनकी प्राथमिकता तय करेंगे।

यह कार्यक्रम बिहार वासियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भागीदार बनने एवं पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक सुनहरा अवसर है। मैं इस कार्यक्रम के सफलता की मंगलकामना करता हूँ।

(श्रवण कुमार)

कपिलदेव कामत
मंत्री
पंचायती राज विभाग,
बिहार सरकार

बिहार सरकार

संदेश

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर सार्थक प्रयास किये गये हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व पंचायतों के पास है। आमजन को घर बैठे गांव में उचित न्याय प्राप्त हो, इस हेतु ग्राम कचहरी का भी गठन राज्य में किया गया है।

राज्य में विकास और जनकल्याण से सम्बंधित अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य अंततः राज्य के आमजन, विशेष कर हाशिये पर लोग हैं, अतः उनकी जागरूकता व सक्रिय भागीदारी के बिना विकास के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी आवश्यक है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से ग्राम पंचायत का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है। ग्राम पंचायतों को विस्तृत (Comprehensive), सर्वागीण (Holistic), समेकित (Integrated), समावेशी (Inclusive), और सहभागितापूर्ण (Participatory) योजनाएं तैयार करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इस आलोक में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan&GPDP) तैयार की जानी है। इस प्रक्रिया को ग्रामीण विकास विभाग के IPPE-2 (मिशन अन्त्योदय) के साथ अभिसरण (Convergence) कर लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2015-16 से बिहार की सभी पंचायतें गहन सहभागिता योजना अभ्यास द्वारा अपने संसाधनों, आजीविकाओं व जरूरतों पर आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेंगी। ग्राम पंचायतों द्वारा दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक विकास योजनाएं बनाई जायेंगी। इन योजनाओं का कार्यान्वयन 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि व ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रमों के अभिसरण से किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की संपूर्ण भागीदारी से ही यह कार्यक्रम सफल हो पाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग के IPPE-2 (मिशन अन्त्योदय) के साथ अभिसरण (Convergence) कर ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए किए जा रहे इस सार्थक प्रयास से ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी।

इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

12.1.16
(कपिलदेव कामत)

अंजनी कुमार सिंह,
भा.प्र.से.
मुख्य सचिव
बिहार सरकार

बिहार सरकार

संदेश

बिहार के विकास की कुंजी उसके गांवों के समेकित विकास में निहित है। यह हर्ष कि बात है कि ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त प्रयास से बिहार के सभी पंचायतों में गहन सहभागी योजना अभ्यास के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जा रहा है। यह स्थानीय स्वशासन में आम लोगो की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने कि दिशा में सार्थक पहल साबित होगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंचायतों एवं ग्रामीणों की सहभागिता से गावों के समग्र विकास के लिए प्रभावी योजना बनाई जा सकेगी।

इस अभियान की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं।

(अंजनी कुमार सिंह)

शिशिर सिन्हा
भा.प्र.से.
विकास आयुक्त
बिहार सरकार

बिहार सरकार

संदेश

राज्य के समस्त गाँव विकास की ओर अग्रसर हों इसकी परिकल्पना कर सघन सहभागिता नियोजन अभ्यास को राज्य के सभी प्रखण्डों में ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से योजना तैयार करने हेतु उपयोग किया जा रहा है।

इस प्रयास से पंचायतें, सभी पंचायततवासियों विशेषकर महिलाएँ, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं वंचितों की सक्रिय भागीदारी से उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकताओं का आकलन वैज्ञानिक तरीके से कर श्रम बजट, राज्य ग्रामीण विकास योजना तथा पंचायतों के दीर्घकालिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेगी।

मैं आशा करता हूँ कि सभी पंचायतवासी, पंचायत प्रतिनिधि एवं विभिन्न हितधारक प्रखण्ड नियोजन दल के सहयोग से योजनाओं को तैयार कर उनकी प्राथमिकता निर्धारित करते हुए विकसित पंयायत निर्माण में अपने सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।

(शिशिर सिन्हा)

सुधीर कुमार राकेश,
भा.प्र.से.
प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

संदेश

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके द्वारा ग्रामीण समुदाय को सत्ता में भागीदारी निभाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। ग्रामीण विकास में त्रिस्तरीय पंचायतों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य में भी ग्राम पंचायतों को राज्य स्तर से सीधे राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यह राशि संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खाता में इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के माध्यम से अंतरित की जायेगी।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0-GPDP) का निर्माण करना है। अब ग्राम पंचायतों को विस्तृत (Comprehensive), सर्वांगीण (Holistic), समेकित (Integrated), समावेशी (Inclusive) और सहभागितापूर्ण (Participatory), योजनाएं तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।

इस क्रम में राज्य की सभी ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, अगले पांच वर्षों के लिए दीर्घकालिक (वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक) और वार्षिक कार्य योजनाएं (तत्काल वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अलग-अलग) तैयार करेंगी। यह कार्य ग्रामीण विकास विभाग के IPPE-2 (मिशन अन्त्योदय) नियोजन प्रक्रिया के तहत अभिसरण (Convergence) कर सम्पन्न किया जायेगा। इन योजनाओं को ग्राम पंचायतों के वार्ड स्तर पर संसाधनों एवं आवश्यकताओं का आकलन करते हुए तैयार एवं अनुमोदित किया जायेगा। तत्पश्चात् इन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा द्वारा पारित कराया जायेगा।

मैं योजना सूत्रीकरण के इस समेकित एवं समावेशी अभ्यास की सफलता की कामना करता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ कि ग्रामीणों की सहभागिता से उनके विकास की यह योजना बिहार राज्य के विकास की यात्रा में भी मील का पत्थर साबित होगी।

11/1/2016.
(सुधीर कुमार राकेश)

अरविन्द कुमार चौधरी,
भा.प्र.से.
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

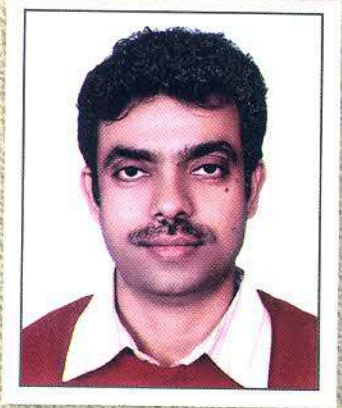

संदेश

बिहार सरकार अपनी जनकल्याणकारी एवं विकास की योजनाओं द्वारा गाँवों के विकास के लिए प्रयासरत है। पिछले वर्ष गहन सहभागी योजना अभ्यास (IPPE I) का आयोजन किया गया था, जिसके द्वारा मनरेगा का श्रम बजट तथा 2015-16 की वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई थी। IPPE-I के सफल आयोजन एवं ग्रामीणों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के अभिसरण से गहन सहभागी योजना अभ्यास (IPPE-2) के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जा रहा है। इस अभ्यास को बिहार के सभी प्रखंडों में किया जायेगा। इसका उद्देश्य है कि सभी ग्रामीण संयुक्त रूप से उपलब्ध संसाधनों एवं जरूरतों का आंकलन कर उनकी प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए कार्य योजना तैयार करें।

गाँव के समग्र विकास के लिए ग्रामीणों की आजीविकाओं के अतिरिक्त उनके जीवन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलूओं जैसे स्वच्छता, शिक्षा, पेयजल आदि की स्थिति में भी सुधार की आवश्यकता है। इन पहलूओं से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन कर इन्हें सुदृढ़ करने के लिए उचित योजनाओं के चयन की आवश्यकता है।

आशा करता हूँ कि सघन सहभागी नियोजन अभ्यास में ग्रामीण जन जीवन से जुड़ी आजीविकाओं व बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त योजनाओं का चयन पारस्परिक सहभागिता के आधार पर करेंगे।

इसकी सफलता हेतु मेरी शुभकामनाएँ।

(अरविन्द कुमार चौधरी)

विषय सूची

क्र.स.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	गहन सहभागी नियोजन अभ्यास (IPPE –II)	1
2	ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की पृष्ठभूमि एवं प्रासंगिकता	2
3	बिहार में गहन सहभागी योजना निर्माण अभ्यास (IPPE –II)	4
4	प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन	5
5.	नियोजन अभ्यास के लिए टूल्स एवं टेक्नीक्स	6
6.	योजना निर्माण अभ्यास प्रपत्रों से सम्बंधित ध्यान देने योग्य बातें	7
7.	गहन सहभागी योजना अभ्यास की प्रक्रिया	8
8.	गहन सहभागी योजना अभ्यास कार्यक्रम समय सारिणी	10
9.	ग्राम सभा का आयोजन	11
10.	योजना अभ्यास का अनुश्रवण	12
11.	गहन सहभागी योजना अभ्यास की विभिन्न गतिविधियाँ एवं मुख्य बातें	13
12.	मनरेगा अन्तर्गत अनुमेय कार्यों की सूची	16
13	शिकायत एवं सुझाव	17
14.	प्रपत्रों की सूची	18

1 गहन सहभागी नियोजन अभ्यास (IPPE –II)

एक परिचय

आई.पी.पी.ई का शाब्दिक अर्थ – गहन सहभागी नियोजन अभ्यास है, जो मिशन अंत्योदय के नाम से प्रचलित है। विगत वर्ष भी आई.पी.पी.ई-I का आयोजन किया गया था, जिसमें गहन सहभागी नियोजन अभ्यास द्वारा मनरेगा का श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई थी। इस वर्ष ग्रामीण विकास विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं पंचायती राज विभाग के साथ अभिसरण कर योजनाओं का निर्माण कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार पूरे देश में चिहित 2500 पिछड़े प्रखंडों के लिये इस अभ्यास के द्वारा मनरेगा का श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजना के अलावा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना (DDUGKY), इंदिरा आवास योजना (IAY), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के लिए योजनाओं का सूत्रण करते हुए राज्य ग्रामीण विकास योजना (SRDP) की तैयारी की जानी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मानव विकास सूचकांक के आधार पर बिहार के 300 पिछड़े प्रखंडों को आई.पी.पी.ई–II के लिए चिहित किया है। राज्य सरकार द्वारा इस नियोजन अभ्यास का आयोजन राज्य के सभी 534 प्रखंडो में करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य मनरेगा का श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजना NRLM, DDUGKY, IAY, NSAP के लिये योजनाओं के चयन के उपरान्त राज्य ग्रामीण विकास योजना (SRDP) को तैयार करना, चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आयोग के अनुदान प्राप्त करने हेतु पंचायती राज विभाग के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करना एवं विकसित बिहार के निश्चय यथा सभी बसावटों में पक्की गली, नाली, सभी घरों में शौचालय, नल का स्वच्छ जल तथा बिजली को मूर्त रूप देने हेतु अपेक्षित आंकड़ों का संकलन किया जाना है ताकि गाँव के समग्र विकास के लिए ग्रामीणों की आजीविकाओं के अतिरिक्त उनके जीवन से जुड़े अन्य महत्त्वपूर्ण पहलूओं जैसे स्वच्छता, पेयजल, बिजली की उपलब्धता एवं उनके सामान्य जीवन स्तर में सुधार हो।

उद्देश्य

आई.पी.पी.ई II का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण संयुक्त रूप से अपने तथा समुदाय के संसाधनों एवं जरूरतों का आकलन कर सुनियोजित तरीके से योजनाओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए वार्षिक विकास योजना तैयार करें। इस हेतु प्रखंड नियोजन दल (BPT) का गठन किया गया है जिसमें 67288 सदस्यों को IPPEII के अंतर्गत नियोजन अभ्यास के लिए प्रशिक्षित किया गया है। BPT दल हर टोला, एवं बसावट में पंचायत प्रतिनिधियों एवं समुदाय के साथ मिलकर हर श्रेणी के लोगों की भागीदारी से योजना बनाने में सहयोग करेगी।

2 ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की पृष्ठभूमि एवं प्रासंगिकता

त्रि–स्तरीय ग्राम पंचायतों के गठन के उपरांत राज्य के ग्रामीण विकास संबंधी फ्लैगशिप कार्यक्रमों में ज
स्तर से योजनाओं का सूत्रीकरण किया जा रहा है। इस क्रम को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत वि
योजना (GPDP) के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करते हुए योजनाओं के चयन एवं
क्रियान्वयन की जवाबदेही भी ग्राम पंचायतों को हस्तगत कराये जाने की आवश्यकता है। इन जिम्मेदारियों की पू
तथा ग्राम पंचायतों के समेकित एवं दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वार्षिक एवं पंचवर्षीय ग्राम पंचायत वि
योजनाएँ तैयार की जानी हैं जो विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण (Convergence) पर आधारित होंगी।
पंचायत विकास योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास है, जिसमें अधोसंरचना वि
(Infrastructure development) के साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी सम्मिलित हैं।

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 तक, पाँच वर्षों की अवधि के लिए, राज्य में ग्रा
पंचायतों के विकास हेतु कुल ₹ 21020.83 करोड़ की राशि का एक बड़ा अनुदान प्राप्त होना है। इन पाँच वर्षों
मनरेगा निधि के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग द्वारा हस्तांतरित निधि, स्वयं के राजस्व स्रोत तथा केन्द्र एवं राज्य प्रयो
विभिन्न योजनाओं की निधि के साथ राज्य में ग्राम पंचायतों के वित्तीय संसाधनों का समृद्ध होना अवश्यंभावी है। चौद
वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रदत्त अनुदान की कुल राशि ₹ 21020.83 करोड़ में बुनियादी अनुदान के अं
कुल ₹ 18919.05 करोड़ की राशि तथा कार्य निष्पादन अनुदान के तहत 2016–17 से 2019–20 तक कुल ₹ 210
करोड़ की राशि सम्मिलित है।

अब यह अनिवार्य हो गया है कि राज्य में ग्राम पंचायतों के उच्चतम विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उप
इस बड़े वित्तीय संसाधन का उपयोग करते हुए एकीकृत विकास योजनाएं तैयार की जायें। ग्राम पंचायत स
योजनाओं के निर्माण के समय यह भी स्मरण रहना चाहिए कि संसाधनों के अभिसरण के लिए भारत सरकार के ग्रा
विकास मंत्रालय द्वारा 05 अगस्त, 2015 दिनांकित अ0शा0सं0जे0– 11016 / 13 / 2015 के माध्यम से दिशा–निर्देश
जारी किया गया है।

चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत केन्द्र प्रदत्त बुनियादी अनुदान की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा वि
मूलभूत सेवाओं पर भी किया जाएगा। ग्रामीण अपने प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर आजीविका संवर्धन तथा पंचा
की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए जनोपयोगी योजनाओं का चयन कर सकते हैं, जो निम्नांकित हो सकती हैं–

कृषि	फलदार वृक्षारोपण, भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, डोभा, पोखर, तालाब, कुआँ, वर्मी कम्पोस्ट टैंक, एजोला टैंक आदि
पेयजल व स्वच्छता व्यवस्था	पुरानी सामुदायिक नल–जल प्रणाली का रख–रखाव, घर–घर तक नल द्वारा पेयजल आपूर्ति, सामुदायिक नल–जल प्रणाली का निर्माण, सामुदायिक शौचालयों का निमार्ण, पक्के नालों का निर्माण, सोखता गढ्ढों का निर्माण, वर्षा जल की निकासी हेतु प्रबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि।

बुनियादी सुविधाएँ	सड़क, पैदल पथ, पुलिया व खेल का मैदान, टोला सम्पर्क पथ का निर्माण एवं रख–रखाव, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि में प्रकाश की व्यवस्था आदि।
उद्यान	पंचायतों में उद्यानों का विकास एवं रख–रखाव।
कब्रिस्तान/ श्मशान	कब्रिस्तान एवं श्मशान में चबूतरा एवं चहारदीवारी का सुदृढ़ीकरण एवं रख–रखाव तथा अन्य आवश्यक कार्य।

ग्राम सभा व ग्राम पंचायतें अन्य विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले संसाधनों के समन्वय के साथ अभिसरण कर योजनाओं का चयन करेंगी। योजनाओं का चयन करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि योजनाएँ बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करनेवाली तथा छोटी हों ताकि वह योजनाएं निर्धारित संसाधनों के तहत पूर्ण हो सकें। योजना निर्माण / चयन के समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ग्राम पंचायत विकास योजना, उपलब्ध संसाधनों से आमजन की प्राथमिकताओं के अनुरूप होनी चाहिए तथा इसमें उचित, समावेशी, पारदर्शी एवं सहभागिता पूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का संगठन किया जाना चाहिए।

विकास की सभी योजनाओं में टोला को इकाई मान कर कार्य किया जाना होगा। एक ही गाँव के विभिन्न टोलों में से कुछ विकास से वंचित नहीं रह जायें, यह सुनिश्चित किया जाना होगा। विशेष कर महादलित एवं कमजोर वर्गों के टोलों / बसावटों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें विकास की आयोजना में समुचित स्थान दिया जाना होगा।

राज्य की सभी ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए पाँच वर्षों की योजना (वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20) (दीर्घकालिक) और वार्षिक कार्य योजना (वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17) का ग्रामीण विकास विभाग के IPPE-II (मिशन अन्त्योदय) नियोजन प्रक्रिया के तहत अभिसरण (Convergence) कर बनायेंगी। इस क्रम में विभिन्न विभागों यथा समाज कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आदि विभागों से संबंधित वार्ड एवं पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सूचनाएँ भी इस योजना की तैयारी के दौरान संग्रहित की जानी हैं, जिनका उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में किया जा सकेगा।

"पंचायत सरकार भवन / ग्राम पंचातय कार्यालय" इस अभियान के कार्यालय के रूप में प्रयुक्त होगा। ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मियों जैसे–पंचायत तकनीकी सहायक, जनसेवक, कृषि सलाहकार, विकास मित्र, सामुदायिक समन्वयक, पंचायत सचिव, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, आंगनबाड़ी सेविका आदि का पूर्ण सहयोग भी इस अभियान के दौरान प्राप्त किया जाये।

ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे विभिन्न विभागों एवं आमजन की सम्पूर्ण सक्रिय सहभागिता से ही ग्राम पंचायत विकास योजना का समुचित सूत्रीकरण संभव है।

3 बिहार में गहन सहभागी योजना निर्माण अभ्यास (IPPE–II)

मनरेगा की मार्ग निर्देशिका 2013 चौथा संस्करण की कंडिका 2.1.2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा मनरेगा अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का अनुमोदन करेगी और इनके कार्यान्वयन की प्राथमिकता निर्धारण हेतु अंतिम प्राधिकार होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशित किया गया है कि राज्य के 300 पिछड़े प्रखण्डों में मनरेगा एवं NRLM (जीविका) के साथ अभिसरण कर IPPE-II के माध्यम से मनरेगा का वित्तीय वर्ष 2016–17 का श्रम बजट एवं राज्य ग्रामीण विकास योजना (State Rural Development Plan) 2016 –17 का निर्माण किया जाय।

इस क्रम में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी 534 प्रखण्डों में IPPE-II के तहत राज्य ग्रामीण विकास योजना (State Rural Development Plan) का निर्माण किया जाएगा।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण विकास विभाग, जीविका, मनरेगा तथा पंचायती राज विभाग के अभिसरण (Convergence) से IPPE-II Module (मिशन अन्त्योदय) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 का मनरेगा अंतर्गत श्रम बजट, Annual Action Plan, SRDP तथा पंच वर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार किया जायेगा। इसके अलावा NRLM, DDUGKY, IAY, NSAP से सम्बंधित योजना भी तैयार की जायेगी।

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है : –

1. **मनरेगा :** प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। इस अभियान के तहत ऐसे परिवारों के लिये सह भागी नियोजन एवं मांग अनुमान के आधार पर ग्राम पंचायत श्रम बजट का निर्माण करना है।

2. **एनआरएलएम :** इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर एवं उन्हें प्रशिक्षित कर स्थायी जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़ा जाता है। इस अभियान के तहत SECC सूची के आधार पर सभी अति संवेदनशील परिवारों के जीविकोपार्जन की योजना तैयार करनी है।

3. **दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना** : यह गरीबी निवारण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसका उद्देश्य 15–35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं, जिन्होंने मनरेगा में कम से कम पंद्रह (15) दिनों का कार्य किया हो उन्हें सकुशल एवं अत्यधिक कामगार के रूप में तैयार करना है। इस अभ्यास के तहत मनरेगा श्रमिकों के लिए कौशल विकास के अवसरों की सूचना एवं सभी पात्र परिवारों की कौशल विकास सम्बन्धी प्राथमिकता सूची तैयार की जानी है।

4. **इंदिरा आवास योजना :** BPL परिवारों के सशक्तिकरण की दिशा में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को अपना पक्का मकान बनाने हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अभ्यास के तहत वर्तमान हितग्राहियों का सत्यापन एवं छूट रहे पात्र हितग्राहियों का समावेश करते हुए पंचायत स्तर पर सूची तैयार करना है।

5. **एनएसएपी :** राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत राज्यों के द्वारा गरीब वंचित एवं निराश्रितों के सशक्तिकरण हेतु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इसके अंतर्गत लाभुकों को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है जो तीन तरह के हैं 1. वृद्धा पेंशन, 2. विधवा पेंशन एवं 3. विकलांग पेंशन। इस अभ्यास के तहत वर्तमान हितग्राहियों का सत्यापन एवं छूट रहे पात्र हितग्राहियों को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर सूची तैयार करना है।

4 प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन

राज्य के सभी प्रखंडो में IPPE – II के तहत विभिन्न योजनाओं का निर्माण करने हेतु 21 सदस्यीय राज्य स्तरीय दल (चार सदस्य ग्रामीण विकास विभाग, चार सदस्य जीविका एवं तेरह सदस्य जो राज्य के विभिन्न स्वयं सेवी संस्थानों से जुड़े हैं) का गठन किया गया। राज्य स्तरीय दल (SRT) को पश्चिम बंगाल के बाकुड़ा एवं NIRD हैदराबाद में प्रशिक्षण दिया गया। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दल द्वारा राज्य के सभी जिलों में 6 सदस्यीय जिला संसाधन दल (DRT), जिसमें प्रत्येक जिले से 2 कार्यक्रम पदाधिकारी 2 आजीविका विशेषज्ञ (जीविका) एवं 2 गैर सरकारी स्संथान (CSO) के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। जिला संसाधन दल (DRT) द्वारा जिलें के प्रत्येक प्रखंड में 7 सदस्यीय प्रखण्ड संसाधन दल (BRT) जिसमें मनरेगा के दो सदस्य (PO और JE), जीविका के दो सदस्य (BPM और आजीविका विशेषज्ञ) तथा गैर सरकारी स्संथान (CSO) से दो सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रखण्ड संसाधन दल (BRT) द्वारा अपने प्रखंड के सभी पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के नियोजन अभ्यास के लिए प्रत्येक पंचायत में 8 सदस्यों का BPT दल–जिसमे पंचायत तकनीकी सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, कृषि सलाहकार, सामुदायिक समन्वयक, विकास मित्र, सामुदायिक संसाधन सेवी, आँगनबाड़ी सेविका एवं गैर सरकारी स्संथान (CSO) के दो सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 2016 - 2017

क्र.स.	टीम का नाम	प्रशिक्षण का दिन	प्रशिक्षण का स्थान	योजना अभ्यास हेतु प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या
1	राज्य स्तरीय संसाधन दल का प्रशिक्षण (SRT)	21 से 24 जुलाई और 28 से 31 जुलाई 2015	बाँकुड़ा (पश्चिम बंगाल) और NIRD (हैदराबाद)	21 (राज्य के विभिन्न संस्थानों से)
2	जिला स्तरीय संसाधन दल का प्रशिक्षण (DRT)	18 सितम्बर से 28 नवम्बर 2015	प्रत्येक प्रमंडल	228 (प्रत्येक जिले में 6 व्यक्ति)
3	प्रखंड स्तरीय संसाधन दल का प्रशिक्षण (BRT)	01 से 12 दिसम्बर 2015	जिला मुख्यालय	3738 (प्रत्येक प्रखंड में 7 व्यक्ति)
4	प्रखंड स्तरीय नियोजन दल का प्रशिक्षण (BPT)	15 से 26 दिसम्बर और 04 से 08 जनवरी 2016	प्रत्येक प्रखंड	67288 (प्रत्येक पंचायत में 6– 8 व्यक्ति)
	योजना अभ्यास हेतु कुल प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या = 71262			

सभी छूटे हुए BPT सदस्य एवं वैसे प्रखण्ड जहाँ प्रशिक्षण नहीं हुआ है अथवा BPT सदस्यों की उपस्थिति काफी कम रही थी वहाँ अभियान चलाकर दिनांक–04.01.16 से 08.01.16 तक पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण कराया गया है । Block Planning Team में पंचायत सचिव को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है एवं उन्हें भी Planning Exercise का प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य स्तर से भी किया जा रहा है।

7 गहन सहभागी योजना अभ्यास की प्रक्रिया

प्रशिक्षित Block Planning Team (BPT) दो भागों में बंटकर 3 से 4 की संख्या में दो दल बना लेगी। ये दल वार्ड में जाकर PRA Tools के माध्यम से Planning Exercise करते हुए उपलब्ध कराये गये विभिन्न प्रपत्रों में सूचना संग्रहित करेंगे तथा योजनाओं का चयन करेंगे । इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के अन्तिम दिन वार्ड के आकलित श्रम बजट के अनुसार वार्षिक कार्य योजना, वित्तीय वर्ष 2016–17, State Rural Development Plan (SRDP) एवं 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त होने वाली राशि से ली जाने वाली योजनाओं का चयन कर GPDP पंचवर्षीय Perspective Plan, 2015–20 एवं वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का Annual Plan तैयार कर वार्ड सभा से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

- **गहन सहभागी योजना अभ्यास (IPPE&II) के अंतर्गत वार्ड स्तर पर किए जाने वाले कार्यों का विवरण :–**

पहला दिन	➢ पंचायत के सभी वार्डों में प्रचार–प्रसार। ➢ पद यात्रा (Transact Walk)–गाँवों में BPT सदस्यों का परिचय, सामाजिक मानचित्रण (पेय जल की सुविधा, विद्यालय, आँगनवाड़ी जैसे संसाधन एवं आवश्यकतानुसार नयी संभावना। ➢ संसाधन मानचित्र–जल श्रोत (नहर, नदी, पोखरा, कुआँ, आहर–पईन) को उनकी उपयोगिता के मानचित्र में कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, वृक्षारोपण इत्यादि को नक्शे में दर्शाना । सामाजिक मानचित्रण के दौरान ग्रामीण जीवन तथा समुदाय से संबधित मुद्दों को समझना (खुली बात–चीत)। इस क्रम में IPPE-I के तहत निर्मित संसाधन एवं सामाजिक मानचित्र को अद्यतन करते हुए उपयोग किया जा सकता है। ➢ मानचित्रण करने के पश्चात संसाधनों का पद–यात्रा कर सत्यापन। ➢ सामुदायिक प्रपत्र तैयार करना एवं ली गयी योजनाओं का संकलन।
दूसरा दिन	➢ घर–घर जाकर व्यक्तिगत SECC Data के साथ सर्वे करना एवं प्रपत्र A, B, C, D, E एवं F भरना। ➢ मनरेगा अंतर्गत व्यक्तिगत योजनाओं के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करना। ➢ मनरेगा अंतर्गत लोगों द्वारा प्रस्तावित व्यक्तिगत योजनाओं का संकलन। ➢ 14 वीं वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि के तहत GPDP के लिए योजनाओं का चयन।
तीसरा दिन	➢ वार्ड सभा कर मनरेगा योजनाओं का अनुमोदन एवं प्राथमिकता सूची तैयार करना। ➢ व्यक्तिगत योजनाओं का आवेदन प्राप्त करना एवं प्राप्त आवेदन का संकलन। ➢ ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की योजनओं को अलग से सूचीबद्ध करना। ➢ सभी योजनाओं को संकलित करना ताकि ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

- **समयावधि**

10 जनवरी, 2016 से 11 फरवरी, 2016 तक सभी वार्डों में निम्न निर्धारित तालिका के अनुसार PRA Tools का उपयोग कर वार्डवार योजनाओं का चयन वार्ड सभा द्वारा किया जाएगा एवं इस पूरी प्रक्रिया को जिले द्वारा तैयार किये गए Block Planning Team के सदस्यों के देख–रेख में वार्ड सदस्य की अध्यक्षता एवं ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से सम्पन्न कराया जायेगा ।

वार्ड सभा की अध्यक्षता संबंधित वार्ड सदस्य करेगें । सभी पंचायतों की वार्ड सभा अग्रलिखित कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी ।

वार्ड स्तर पर वार्ड के सक्रिय युवा सदस्य स्वयं सेवी संस्थान के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के महिलाओं की भागिदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी वार्ड सदस्य की होगी, इस हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

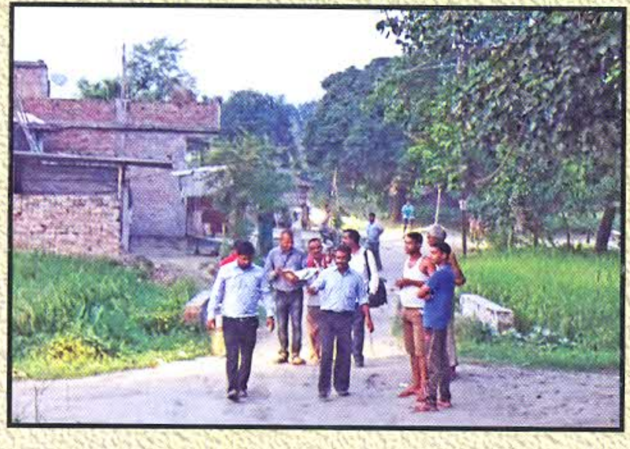

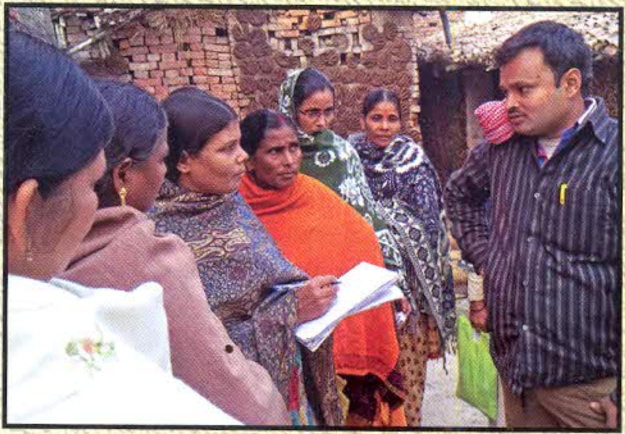

8

गहन सहभागी योजना अभ्यास
कार्यक्रम समय सारिणी

"सघन सहभागी नियोजन अभ्यास" कार्यक्रम			
क्र.सं.	प्रत्येक ग्राम पंचायत का वार्ड संख्या	नियोजन समयावधि	वार्ड सभा की तिथि
1	1 एवं 2	10 जनवरी से 12 जनवरी 2016	12 जनवरी 2016
13 जनवरी 2016 को वार्ड संख्या 1 एवं 2 से चुने गए कार्य एवं सर्वे किये गए आँकड़ों का तकनीकी विश्लेषण और संकलन			
2	3 एवं 4	14 जनवरी से 16 जनवरी 2016	16 जनवरी 2016
3	5 एवं 6	17 जनवरी से 19 जनवरी 2016	19 जनवरी 2016
4	7 एवं 8	20 जनवरी से 22 जनवरी 2016	22 जनवरी 2016
23 जनवरी 2016 को वार्ड संख्या 3, 4, 5, 6, 7 एव 8 से चुने गए कार्य एवं सर्वे किये गए आंकड़ों का तकनीकी विश्लेषण और संकलन			
5	9 एवं 10	24 जनवरी से 27 जनवरी 2016	27 जनवरी 2016
26 जनवरी 2016 को वार्ड संख्या 9 एवं 10 से चुने गए कार्य एवं सर्वे किये गए आंकड़ों का तकनिकी विश्लेषण और संकलन			
6	11 एवं 12	28 जनवरी से 30 जनवरी 2016	30 जनवरी 2016
7	13 एवं 14	31 जनवरी से 2 फरवरी 2016	2 फरवरी 2016
8	15 एवं उससे ज्यादा वार्ड संख्या	3 फरवरी से 5 फरवरी 2016	5 फरवरी 2016
सभी सर्वे किये गए आंकड़ों का तकनीकी विश्लेषण एवं संकलन तथा वार्ड सभा द्वारा पारित कार्यों की सूची तैयार करना (6 फरवरी से 8 फरवरी)			
9, 10 एवं 11 फरवरी को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा (पंचायत सचिव की उपस्थिति अनिवार्य)			
29 फरवरी 2016 तक सभी आंकड़ों को नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड किया जाना है			
10 मार्च 2016 तक राज्य स्तर पर आंकड़ों का संकलन			
10 मार्च 2016 तक राज्य ग्रामीण विकास योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार			

वार्ड सभा से पारित श्रम बजट एवं कार्यों की सूची को ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें वार्डों द्वारा पारित श्रम बजट / योजनाओं पर विचार कर ग्राम पंचायत का समेकित श्रम बजट एवं प्रारूप की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी । इस क्रम में यह प्रयास किया जाना चाहिए कि हर वार्ड की योजनाएँ समान आधार पर समावेशित हों ।

9 ग्राम सभा का आयोजन

ग्राम सभा 09 फरवरी, 2016 से 11 फरवरी के बीच सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित की जाएगी। प्रतिदिन एक प्रखण्ड के सामान्यतः एक चौथाई पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित की जाय। इन ग्राम सभाओं में एक मनरेगा कर्मी यथा कार्यक्रम पदाधिकारी/कनीय अभियन्ता/पंचायत तकनीकी सहायक अवश्य उपस्थित रहेंगे साथ ही जीविका के प्रतिनिधि तथा पंचायती राज विभाग के पंचायत सचिव निश्चित रूप से उपस्थित रहेगे।

IPPE-II के अन्तर्गत मनरेगा के तहत ली जाने वाली योजनाओं की प्राथमिकता तैयार की जाएगी। लोगों के द्वारा चयनित योजना क्रमशः तीन प्रकार से संकलित कर सूचीबद्ध की जाएगी, (क) मनरेगा के अन्तर्गत ली जाने वाली योजना (ख) मनरेगा एवं अन्य विभागों से संबंधित अभिसरणयुक्त योजना (Convergence) (ग) अन्य विभाग की योजना।

ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी द्वारा ग्राम सभा द्वारा पारित अन्तिम प्राथमिकता सूची को अनुमोदित कर विधिवत कार्यक्रम पदाधिकारी को दिनांक–12.02.16 तक उपलब्ध कराया जायगा।

कार्यक्रम पदाधिकारी प्राप्त कार्य योजना की सूची को समेकित कर पंचायत समिति को प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक–13.02.16 उपस्थापित करेंगे। समयाभाव के कारण प्रखण्ड क्षेत्र की कार्य योजना पर विचार हेतु पंचायत समिति की बैठक दिनांक– 16.02.2016 तक आयोजित करा ली जायेगी।

पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरोपरान्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को दिनांक–20.02.2016 तक भेजी जाय। जिला कार्यक्रम समन्वयक यथासम्भव दिनांक–29.02.16 तक जिला परिषद् की बैठक आयोजित कराकर जिले की कार्य योजना एवं श्रम बजट को अनुमोदित करायेगें।

तकनीकी विश्लेषण में मुख्य रूप से वार्ड में हो रहे सामाजिक और संसाधन मानचित्रण, सर्वे आदि कार्यों की समीक्षा होगी। यह तकनीकी विश्लेषण BRT के सदस्य की अध्यक्षता में सभी वार्ड में कार्यरत BPT के साथ किया जाएगा।

10 योजना अभ्यास का अनुश्रवण

IPPE-II का प्रशासनिक नेतृत्व प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी करेंगे एवं वे सभी पंचायत के लिए चयनित BPT के सदस्यों का पूर्व निर्धारित तिथियों में वार्डों में उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे ।

BPT के किसी भी सदस्य के अनुपस्थित होने पर उप विकास आयुक्त उन पर कार्रवाई करेंगे कार्यक्रम पदाधिकारी (चार्ज ऑफिसर) एवं प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक वैकल्पिक व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम पदाधिकारी IPPE-II कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्डसभा द्वारा पारित योजनाओं को प्रपत्र में संकलित कर एवं वार्डसभा, सामाजिक मानचित्र तथा संसाधन मानचित्र से संबंधित छायांकन को वेब साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चत करेंगे।

प्रखंडों में पदस्थापित कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि IPPE-II के सभी प्रक्रियाओं का पालन नियमानुसार हो रहा है ताकि पंचायत के सभी वार्डों में यह कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न करायी जा सके। कार्यक्रम पदाधिकारी BPT के सदस्यों का स्थल पर मार्गदर्शन भी करेंगे। सभी जिला यह सुनिश्चत करेंगे कि वार्डवार कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू हो जाय।

सभी जिला, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में इस पूरी नियोजन प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतु जिले में जिला अनुश्रवण कोषांग का गठन करेंगे। जिला अनुश्रवण कोषांग का गठन करते हुए सूचना विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला अनुश्रवण कोषांग प्रतिदिन नियोजन प्रक्रिया की प्रगति प्रतिवेदन से जिला पदाधिकारी को अवगत करायेंगे। संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त, राज्य में गठित, राज्य अनुश्रवण कोषांग को नियोजन प्रक्रिया की प्रगति प्रतिवेदन rlrsec.bih@nic.in, secy-panchayat-bih@nic.in, misrddbihar@gmail.com एवं ippebihar@gmail.com पर ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त डी.आर.टी. के सदस्य जो पंचायत अनुश्रवण के लिए जाएगें उनके लिए एक वाहन की व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे।

कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक (जीविका) यह सुनिश्चित करेंगे कि वे BRT सदस्यों को चिह्नित कर प्रखंड स्तर पर एक अनुश्रवण कोषांग बनाएँगे। यह कोषांग जिला अनुश्रवण कोषांग को प्रतिदिन कार्यक्रम की प्रगति का रिपोर्ट देंगे।

पंचायतों की ग्राम सभा से पारित योजनाओं की सूची निर्धारित प्रारूप में संकलित कर मनरेगा वेब साईट एवं फोटोग्राफ IPPE के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी। ग्राम सभा की विडियो रिकार्डिंग अनिवार्यतः की जाय। इसकी Non Edited DVD बना कर प्रतियां जिला स्तर पर संधारित की जायेगी।

किसी के द्वारा इनकी प्रति मांगे जाने पर उचित शुल्क प्राप्त कर प्रति देने की व्यवस्था जिला स्तर पर की जायेगी। ग्राम सभा में माइक इत्यादि का इंतजाम निश्चित रूप से किया जाय।

IPPE-II के लिए विभाग स्तर पर एक फेसबुक पेज बनाया गया है जिसका ID है:-https://www.facebook.com/missionantyodaya जिसमें कोई भी किसी कार्यक्रम के दौरान लिए गए अच्छे फोटो को सभी के जानकारी के लिए भेज सकता है।

11 गहन सहभागी योजना अभ्यास की विभिन्न गतिविधियाँ एवं मुख्य बातें

(1) सभी वार्डों में प्रचार–प्रसार तथा माइकिंग, सार्वजनिक स्थल पर बैनर आदि लगाकर किया जाना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके । स्थानीय समाचार–पत्र में ससमय विज्ञापन देकर इसका प्रचार–प्रसार किया जाय।

(2) सभी जिला / प्रखंड इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि इस वर्ष मनरेगा में चयन किए जाने वाले योजनाओं में कम–से–कम 60% योजना कृषि, कृषि आधारित योजना जो भूमि, जल एवं वृक्षों के विकास से सम्बंधित, जैसे– भूमि समतलीकरण, वृक्षारोपण, खेती के लिए नाला का निर्माण, नर्सरी आदि कामों से सम्बंधित होगी साथ हीं नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे संसाधनों का निर्माण करना है जो समुदाय में कृषि आधारित, गैर कृषि आधारित या अन्य प्रकार की आजीविका में वृद्धि करे तथा यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ–साथ उन्हे बढ़ाने में भी सहयोगी हो।

(3) वार्ड में IPPE-II के तहत SECC Data के अनुसार परिवारों को चिह्नित करते हुए परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना है। बी.पी.टी. को पंचायत के संबंधित वार्ड का SECC Data का सूची प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी पहले से हीं उपलब्ध करा देना सुनिश्चित करेंगे।

(4) IPPE-II के तहत BPT के टीम मनरेगा में कार्यरत जॉब कार्डधारी एवं इच्छुक परिवार जिनका जॉब कार्ड न हो को चिह्नित करेंगे एवं संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी को नये जॉब कार्ड बनाने के लिए सूची उपलब्ध कराएँगे ।

(5) उल्लेखनीय है कि अन्य कार्यान्वयन निकायों यथा पंचायत समिति, जिला पार्षद, सरकार के विभिन्न लाईन विभागों यथा पर्यावरण एवं वन विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग आदि से भी योजनाएँ प्राप्त कर ससमय ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाना है ताकि 9 फरवरी से 11 फरवरी 2016 के बीच निर्धारित ग्राम सभा में इन पर विचार हो सके। जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा योजनान्तर्गत प्रस्ताव लाइन विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी से 01.02.2016 के पहले बैठक कर प्राप्त कर पंचायतों को कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से हस्तगत करा देगें ताकि ग्राम सभा की बैठक में उन पर विचार हो सके ।

जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करेगें कि सभी संबंधित सरकारी विभागों से अनिवार्य रूप से प्रस्ताव प्राप्त कर ग्राम सभा में रखे जाने हेतु ससमय भेज दिए जाएँ। लाइन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी को परामर्श दिया जाय कि वे सुविधानुसार स्वयं ग्राम सभा में भाग लेकर अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को वार्षिक कार्य योजना में शामिल करायें।

(6) जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के सदस्य सुविधानुसार वार्ड सभा / ग्राम सभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा इनके क्षेत्र की आवश्यकताओं को समावेशित करने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति एवं उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् क्रमश : पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्यों से उनके क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों की महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित पंचायत रोजगार सेवक को अनिवार्य रूप से दिनांक–04.02.2016 तक उपलब्ध करा देंगे।

(7) वार्ड सभा एवं ग्राम सभा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने स्तर से सभी माननीय सांसदों, विधायकों एवं विधान पार्षदों , जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को दिनांक– 04.01.2016 तक उपलब्ध करा देंगे और उन्हें या उनके प्रतिनिधियों को ग्राम सभा की कार्यवाही में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेगें । साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से कार्यक्रम की विवरणी अध्यक्ष / उपाध्यक्ष प्रखण्ड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को देंगे । जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने जिला के सभी माननीय सांसदों, विधायकों एवं विधान पार्षदों से उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित योजनाओं की सूची प्राप्त कर उन्हें भी दिनांक–04.02.2016 तक उपलब्ध करा देंगे ।

(8) ग्राम सभा, पंचायत के मुख्यालय में ही आयोजित की जाय। ग्राम पंचायत के मुख्यालय से अलग स्थान पर ग्राम सभा आयोजन की सूचना मिलने पर संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव दोषी माने जाएँगे एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे। ग्राम सभा की विडियों रिकार्डिंग अनिवार्यत रुप से की जाय। इसकी डी0वी0डी0 बनाकर प्रतियाँ जिला स्तर पर संधारित की जाय। ग्राम सभा में माइक इत्यादि का इंतजाम निश्चित रूप से किया जाय।

(9) ग्राम सभा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाय कि मुखिया, उनकी कार्यकारिणी के सदस्य एक साथ बैठें, उनके निकट हीं परन्तु अलग सरपंच एवं पंच तथा संबंधित पंचायत समिति के सदस्य के बैठने की व्यवस्था हो तथा ग्राम के लोग इनके आमने–सामने बैठें । प्रखंड विकास पदाधिकारी / कार्यक्रम पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सदस्यों को लिखित आमंत्रण कम–से–कम सात दिन पूर्व अवश्य मिल जाय। ग्राम सभा की कार्यवाही को देखने हेतु आमंत्रित प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था ऐसे स्थान पर हो कि पूरी सभा की कार्रवाई दिखे।

(10) ग्राम सभा किसी योजना को जोड़ने, हटाने, संशोधित करने एवं उनकी प्राथमिकता बदलने हेतु सर्व सक्षम है ग्राम सभा का बहुमत से समर्थन मिलने पर प्रस्ताव मान्य हो जाएगा एवं वह वार्षिक कार्य योजना का भाग हो जाएगा । ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार प्रारूप प्राथमिकता सूची को संशोधन कर ग्राम सभा की अन्तिम प्राथमिकता सूची ग्राम सभा में ही पारित की जायगी।

(11) IPPE-II के तहत पंचायतों की ग्राम सभा से पारित मनरेगा अन्तर्गत एक वर्ष में पूरा किए जाने वाले योजनाओं को ही पारित कराया जाएगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया के दौरान 14वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध होने वाली राशि के विरूद्ध चिह्नित प्रक्षेत्रों की योजनाओं का भी चयन करेंगे और पंचवर्षीय GPDP Perspective Plan 2015–20 तैयार करेंगे एवं वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का वार्षिक योजना तैयार कर वार्ड सभा से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(12) ग्राम सभा में सभी वार्डों की चयनित योजनाओं की प्राथमिकता निम्न अनुसार तय की जाएगी :– जैसे, दस वार्ड के किसी पंचायत मे दसों वार्डों की क्रमांक–01 वाली योजना का प्रथम खण्ड बनेगा तथा सभी वार्डों के क्रमांक–02 वाली योजना का दूसरा खण्ड बनेगा, इसी प्रकार क्रमांक–03 का........... ।

ग्राम सभा क्रमानुसार खण्डों के योजनाओं की प्राथमिकता तय करेगी, जैसे– अगर खण्ड–01 में 10 योजना है तो ग्राम सभा इन दसों योजनाओं की प्राथमिकता तय करेगी।

(13) IPPE-II के तहत श्रम बजट मनरेगा में ली जाने वाली योजनाओं का एक वर्ष के लिए ही बनेगा। कार्यक्रम पदाधिकारी निर्धारित प्रपत्र में मनरेगा के लिए चयनित योजनाओं के अनुरूप श्रम बजट (Labour Budget) तैयार कर www.mgnrega.nic.in में अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

(14) प्रत्येक वार्ड सभा, वार्ड में ही उपलब्ध किसी सार्वजनिक स्थल पर किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम सभा की कार्रवाई उक्त पंचायत के मुख्यालय में ही आयोजित की जायगी।

वार्ड सभा / ग्राम सभा के आयोजन स्थल एवं आयोजन की तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार कार्यक्रम पदाधिकारी कराना सुनिश्चित करेंगे।

पंचायत मुख्यालय से अलग स्थान पर ग्राम सभा आयोजन की सूचना मिलने पर संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव दोषी माने जायेंगे तथा विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(15) IPPE-II को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए विभाग स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मलित करने के लिए संकल्पित है।

सभी जिला अपने यहाँ कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं से इस दिशा में सहयोग ले सकते हैं। राज्यस्तर पर कुछ संस्था जैसे– PACS, PRADAN आदि IPPE-II में अपने कार्यक्षेत्र में सहयोग करने हेतु इच्छुक हैं। इनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

12

मनरेगा अन्तर्गत अनुमेय कार्यों की सूची

I. कंटूर ट्रेंच (समान, गहराई वाली खाई), समोच्च बांध, पत्थर के रोक बांध (बोल्डर चौक), बेलनाकार संरचनाएं, भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, रोक बांध तथा स्प्रिंगशेड विकास सहित जल संरक्षण एवं जल संचय,

II. सूखे से बचाव के लिए वनरोपण और वृक्षारोपण,

III. सिंचाई के लिए सूक्ष्म और लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण,

IV. अनुसूची–1 के पैराग्राफ 1 ग में निर्दिष्ट परिवारों द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधाओं, खेत में बनाए गए तालाब, बागवानों, पौधारोपण, खेत बांध और भूमि विकास का प्रावधान,

V. परम्परागत जल निकायों के पुनर्जिविकरण सहित जलाशयों की माद निकालना,

VI. भूमि विकास,

VII. बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं जिनमें जलभराव से ग्रस्त इलाकों में पानी की निकासी, बाढ़ नालों (चौनलों) को गहरा करना, मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए स्टोर्मवाटर ड्रेनों का निर्माण शामिल है,

VIII. ग्रामों के भीतर जहां भी आवश्यक हो, पुलियों और सड़कों की व्यवस्था सहित बारहमासी सड़क संपर्कता मुहैया कराने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्कता,

IX. ब्लॉक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण,

X. कृषि से संबंधित कार्य जैसे कि एनएडीईपी कम्पोसटिंग, वर्मी–कम्पोस्टिंग, तरल–जैव, खाद,

XI. पशुधन संबंधी कार्य जैसे कि मुर्गीपालन शेल्टर, बकरी शेल्टर, पक्की फर्श निर्माण, यूरिन टैंक तथा पशुओं के लिए चारे की गाद, पशु आहार पूरक के रूप में अजोला,

XII. मत्स्यपालन संबंधी कार्य जैसे कि सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मछली पालन,

XIII. तटवर्ती क्षेत्रों में कार्य जैसे कि मछली सुखाने के यार्ड, बेल्ट बेजीटेबुल क्षेत्र,

XIV. ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य जैसे कि सोख्ता गड्ढा, रिचार्ज पिट्स,

XV. ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य जैसे कि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, विद्यालय शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय, ठोस व तरल अपशिष्ट सामग्री प्रबंधन,

XVI. आंगनवाड़ी केन्द्रों का संनिर्माण,

XVII. खेल के मैदानों का निर्माण,

XVIII. राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले कोई अन्य कार्य।

13 शिकायत एवं सुझाव

ग्राम सभा से संबंधित शिकायत/सूचना टॉल फ्री दूरभाष सं0–1800–120–8001 पर अथवा लिखित शिकायत/सूचना ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण कक्ष के फैक्स सं0–0612–2217857 अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी को दी जा सकती है। ग्राम सभा के आयोजन के संबंध में किसी संशय के समाधान के लिए अथवा इसे और प्रभावी बनाने से संबंधित सुझाव देने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों/जन प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित किया जाय।

14

प्रपत्रों की सूची

क्र. स.	विवरण			पृष्ठ संख्या
1		Forms	SECC बेस फॉर्म एक पन्ने का ।	19
2	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से श्रम बजट एवं SRDP तैयार करने हेतु निर्गत प्रपत्र ।	A	मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्डधारकों द्वारा की गयी माहवार अनुमानित माँग काम की मांग।	20
3		B	(पेज–1) मनरेगा अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु योजनाओं का चयन । (पेज–2) मनरेगा अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु चयनित योजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण । (पेज–3) उद्योग संबंधी जीविकोपार्जन की गतिविधियाँ, कर्ज / ऋण का आकलन। (पेज–4) कृषि एवं पशुपालन की सेवा प्रसार ।	21-24
4		C	कौशल विकास की आवश्यकताओं पर आधारित जानकारी।	25-26
5		D	इन्दिरा आवास योजना का पारिवारिक सर्वेक्षण।	27
6		E	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (सभी पेंशन राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय) परिवार सर्वेक्षण।	28
7	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार एंव अन्य विभाग की सूचनाएं संग्रहीत करने हेतु एवं GPDP तैयार करने हेतु निर्गत प्रपत्र	F	व्यक्तिगत सूचना संकलन प्रपत्र।	29
8		G	पंचायत स्तरीय संसाधनो की सूची।	30-32
9			वार्ड स्तर पर सूचना संकलन प्रपत्र ।	33-34
10			मनरेगा अंतर्गत IPPE – II के तहत ग्राम स्तर पर होने वाले सभी कार्यो के लिय समाहित समग्र प्रारूप।	35-44
11			पंचायत स्तर पर ग्राम विकास योजना (फॉर्म G) को समाहित करने के लिए एक समग्र प्रारूप।	45-50
12			BPT KIT के लिए आवश्यक जानकारी और BPT KIT में शामिल जरुरी सामान की सूची।	51
			कुल पृष्ठ =	31

समेकित ग्राम विकास योजना बनाने का परिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र

				यूनिक फार्म नं.
राज्य	जिला	तहसील / तालुका	प्रखण्ड	एनआरएलएम इंटेनशिव हॉ ☐ नही ☐
ग्राम पंचायत :–			ग्राम :–	
SECC TIN नं.			परिवार प्रकार	18–59: <18 >60
परिवार के मुखिया का नाम –			उम्र –	लिंग– वर्ग–
पिता का नाम–			माता का नाम–	
Automatically included with criteria codes or deprvation with criteria codes (स्वतः शामिल श्रेणी कोड के साथ या वंचितता श्रेणी कोड के साथ)				

संपर्क नं. (मोबाईल नं.) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

क्या परिवार के पास जॉब कार्ड है हॉ ☐ नही ☐ यदि हॉ तो परिवार के पास उपलब्ध जॉब कार्ड सं.

	जॉब कार्ड विवरणी (महत्मा गॉधी NREGA के अनुसार)		
	विशेष पहचान संख्या (NREGA के अनुसार)	परिवार पहचान कोड	फार्म A भरा गया है ?
जॉब कार्ड 1			हॉ ☐ नही ☐
जॉब कार्ड 2			हॉ ☐ नही ☐
जॉब कार्ड 3			हॉ ☐ नही ☐

1. प्रत्येक जॉब कार्ड धारक द्वारा की गई मॉग के फार्म ए (फॉर्म ए हरा रंग)मे भरा जाये।

   (a) यदि किसी परिवार के पास जॉब कार्ड उपलब्ध नही है तो क्या उसे जॉब कार्ड चाहिए ? हॉ ☐ नही ☐

   (b) जॉब हेतु आवेदन फार्म दिया गया है हॉ ☐ नही ☐

   (c) फार्म a भरा गया है हॉ ☐ नही ☐

2. फार्म बी भरे – पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना के लिये (फॉर्म नीला रंग)

   (a) फार्म B भरा गया है हॉ ☐ नही ☐

3. क्या परिवार का सर्वेक्षण पूर्व में भी प्रोजेक्ट लाइव के तहत हुआ है ? हॉ ☐ नही ☐

   (a) यदि हॉ, तो प्रोजेक्ट लाइफ के अंतिम दो कॉलम को भरे तथा चैक लिस्ट (बीपीटी किट के तहत चैक लिस्ट दिया गया है)मे उस युवक का नाम भरे।

   (b) यदि नही, तो क्या उस परिवार में कोई सदस्य किसी प्रकार के कौषल विकास का इच्छुक है? हॉ ☐ नही ☐

i. यदि इच्छुक है तो, फार्म "सी" भरे (फॉर्म ग्रे रंग) ☐

   (c) फार्म "C" भरा गया है हॉ ☐ नही ☐

4. क्या परिवार पहले से इंदिरा आवास योजना का लाभुक है या उसका पात्र है? यदि हॉ तो फार्म "डी" भरे (फॉर्म पीला रंग)

   (a) फार्म "D" भरा गया है ? हॉ ☐ नही ☐

5. क्या परिवार में कोई सदस्य सा.सु.पे. का पात्र है (IGNOAPS/INGWPS/IGNDPS) ? यदि हॉ तो फार्म "ई" भरे (फॉर्म गुलाबी रंग)

   (a) फार्म "E" भरा गया है ? हॉ ☐ नही ☐

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म–ए : जॉब कार्ड धारको द्वारा की गई अनुमानित मॉग (2016–17)
कितने दिन का रोजगार चाहिए प्रतिमाह

जॉब कार्ड परिवार कोड			
मनरेगा की यूनिक पहचान सं.			
जॉब कार्ड धारक का नाम			
FRA लाभुक	हॉ ☐ नही ☐	हॉ ☐ नही ☐	हॉ ☐ नही ☐
माहबार	दिनो की संख्या	दिनो की संख्या	दिनो की संख्या
अप्रैल			
मई			
जून			
जुलाई			
अगस्त			
सितम्बर			
अक्टूबर			
नवम्बर			
दिसम्बर			
जनवरी			
फरवरी			
मार्च			
कुल योगः–			

1. SECC के सर्वेक्षण के आधार पर हो सकता है कि किसी परिवार के पास एक से अधिक जॉबकार्ड हो सकते है तो ऐसी स्थिति में अलग अलग जॉबकार्ड धारकों की मॉग को अलग अलग कॉलम लिखें।
2. किसी अन्य जॉबकार्ड कोड (राज्य/जिला/प्रखण्ड/पंचायत/ग्राम) की प्रविष्टि न करें चूँकि वह एक SECC परिवार में सभी जॉबकार्ड के लिये समान होगा।
3. यदि SECC परिवार के पास तीन अधिक जॉबकार्ड है तो मॉग दर्ज करने के लिये अलग से फार्म–A भरे।
4. जॉबकार्ड के परिवार कोड को जानने के लिये निम्नलिखित उदाहरण को देखें

JH -20 -003 -001 -001 /84

JH	20	003	001	001	84
राज्य कोड	जिला कोड	प्रखण्ड कोड	पंचायत कोड	ग्राम कोड	परिवार कोड

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एंव हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अगूंठा

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म –बी : पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु (पेज 1)

1. परिवार के मुखिया का नाम :–
2. परिवार के भूमि का विवरण (बोल चाल की भाषा में पहचान कर विवरण)

	अपना जमीन					पटटे पर लिया गया जमीन
	दोन–1 (जल जमाव भूमि)	दोन–2 (कम जल जमाव भूमि)	दोन–3 (टॉढ)	बाड़ी	अनउपजाउ जमीन	
सिंचित						
असिंचित						

बोलचाल की भाषा में पहचान कर एरिया विवरण लिखे (1 एकड=.................... लोकल इकाई)

3. कृषि क्षेत्र में पहुँच

3.A	क्या परिवार भूमि विकास के कार्य को करने का इच्छुक है भूमि समतलीकरण ☐ फार्म बंडिग ☐ अन्य ☐
3.B	व्यक्तिगत सिंचाई हेतु संपत्ति की आवष्यकता तालाब ☐ कूप ☐ अन्य ☐
3.C	क्या परिवार नाडेप कम्पोस्ट गढढा या अजोल गढढा निर्माण करने का इच्छुक है नाडेप कम्पोस्ट गढढा ☐ अजोल गढढा ☐ अन्य ☐
3.D	क्या परिवार अपनी भूमि पर फलदार/ गाय,भैस चारा/ लकडी के उपयोग हेतु वृक्षारोपण के लिये इच्छुक है ? फलदार ☐ गाय,भैस चारा ☐ लकडी ☐
3.E	क्या परिवार सरकारी जमीन/सडक के किनारे वृक्षारोपण का कार्य करने के लिये इच्छुक है ? हॉ ☐ नही ☐
3.F	अगर परिवार भूमिहीन है, तो क्या वह जमीन पटटे पर लेने के लिये इच्छुक है? हॉ ☐ नही ☐

4. A. पशुओं से संबंधित मौका – पशुओं की संख्या

	भैस	गाय	बैल	बकरी/भैड	सुअर	मुर्गी	अन्य
बडे							
बछडा/बच्चे							

4. B. पशुओं से संबंधित जरुरतें–क्या परिवार को पशुओं को रखने के लिये ग्रह निर्माण की जरुरत है?
कृपया टिक लगायें

गाय,भैस शैड	☐	बकरी/ भैड शैड	☐	सुअर शैड	☐	मुर्गी शैड	☐

5. एनटीएफपी पर आधारित जीविकोपार्जन (जब ग्राम जंगल के पास हो तब ही भरा जायें)

5.a	क्या ग्राम जंगल के नजदीक स्थित है ? हॉ ☐ नही ☐					
5.b	क्या परिवार एनटीएफपी से संबंधित गतिविधि करते थे/करते है ?(कृपया टिक का प्रयोग करे)					
	टसर	☐	लाख	☐	अन्य	☐
5.C	क्या परिवार एनटीएफपी से गतिविधि के लिये प्रखण्ड से वृक्षारोपण करने का इच्छुक है ? हॉ ☐ नही ☐					

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एंव हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अगूंठा

फार्म –बी : पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु (पेज 2)

परिवारिक स्तर पर उत्पादन संबंधित कार्यो की प्राथमिकता सूची (प्राथमिकीकरण 3 तक)

संपत्ति निर्माण की सूची (यदि आवश्यकता हो तो ऐसे कार्य जो जिन कार्यो को करने की अनुमति बीपीटी चैक लिस्ट में है उन्हे जोडा जा सकता है)	प्राथमिकता सं.
भूमि समतलीकरण	
मेढ बंधान	
अन्य भूमि के विकास हेतु कार्य (कार्य का विवरण)	
खेत / मछली तालाब	
कूप	
अन्य सिंचाई ढॉचा (कार्य का विवरण)	
जलसंग्रहण कार्य कृषिभूमि पर	
नाडेप कम्पोटिंग	
आजोला गढढा	
निजी जमीन में वृक्षारोपण	
सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण	
गाय, भैस हेतु शैड निर्माण	
भेड, बकरी हेतु शेड	
मुर्गी या बतख पालन हेतु शेड निर्माण	
सुअर पालन शेड निर्माण अन्य	
(वर्णन करें)	

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एंव हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अगूंठा

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म –बी : पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु (पेज 3)

1. उद्योग संबंधित जीविकोपार्जन की गतिविधियाँ–

6.a	क्या परिवार किसी प्रकार के धरेलू उद्योग कर रहा है ? (कोड का प्रयोग–हॉ–1,नही–2)	हथकरघा उद्योग	☐	हस्तषिल्प उद्योग	☐	अन्य	☐
6.b	क्या परिवार उद्योग को स्थापित कर अपना जीविकोपार्जन करना चाहता है ?						☐

6.C. क्या परिवार का कोई सदस्य महिला समूह से जुडा है ? हॉ ☐ नही ☐ हॉ तो समूह का नाम ....समूह के दीदी का नाम :

2. कर्ज/ऋण आंकलन –

	7.a	7.B		7.C	
ऋण के स्त्रोत	बकाया राषि	ब्याज की दर कोई एक लिखें		कर्ज या ऋण लेने का कारण	
		वार्षिक	मासिक		
महाजन/ व्यवसायिक				उपभोग हेतु	☐
				उत्पादन हेतु	☐
				शादी हेतु	☐
				त्यौहार हेतु	☐
सूक्ष्मवित्त संस्था/ फाईनेंष कंपनी				उपभोग हेतु	☐
				उत्पादन हेतु	☐
				शादी हेतु	☐
				त्यौहार हेतु	☐
स्व सहायता समूह से				उपभोग हेतु	☐
				उत्पादन हेतु	☐
				शादी हेतु	☐
				त्यौहार हेतु	☐
बैंक से				उपभोग हेतु	☐
				उत्पादन हेतु	☐
				शादी हेतु	☐
				त्यौहार हेतु	☐
दोस्त/ रिस्तेदार				उपभोग हेतु	☐
				उत्पादन हेतु	☐
				शादी हेतु	☐
				त्यौहार हेतु	☐

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एंव हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अगूंठा

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म –बी : पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु (पेज 4)

3. जीविकोपार्जन से संबंधित आंकलन–

8.a अपनी खेती कितने माह खाद्यान्य उपलब्ध होता है ☐

8.b आय का विवरण

जीविकोपार्जन के स्त्रोत	वार्षिक आय
कृषि	
पशु पालन से	
मजदूरी	
पलायन	
एनटीएफपी (जंगल जातीय द्रब्य)	
अन्य	

4. जीविकोपार्जन सेवा प्रसार

सेवाओं का प्रकार		सेवा प्रदाता	सेवा प्रदाता का पता/स्थान
पशु स्वास्थ्य सुविधा	9.a बडे जानवर	पशुसखी ☐ पशुक्षेत्र सहायक ☐ पषु चिकित्सक ☐ प्राईवेट ☐	उसी गॉव में ☐ ग्राम से 2 कि.मी. के भीतर ☐ गॉव जो 2 कि.मी. अधिक ☐ प्रखण्ड मुख्यालय ☐
	9.B छोटे जानवर/ मुर्गी	पशुसखी ☐ पशुक्षेत्र सहायक ☐ पषु चिकित्सक ☐ प्राईवेट ☐	उसी गॉव में ☐ ग्राम से 2 कि.मी. के भीतर ☐ गॉव जो 2 कि.मी. अधिक ☐ प्रखण्ड मुख्यालय ☐
9.C कृषि		कृषि सीआरपी ☐ ग्रामसेवक ☐ CSO/NGO ☐ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी ☐ प्राईवेट ☐	उसी गॉव में ☐ ग्राम से 2 कि.मी. के भीतर ☐ गॉव जो 2 कि.मी. अधिक ☐ प्रखण्ड मुख्यालय ☐
9.C एनटीएफपी		वनविभाग ☐ सोसायटी ☐ CSO/NGO ☐ प्राईवेट ☐	उसी गॉव में ☐ ग्राम से 2 कि.मी. के भीतर ☐ गॉव जो 2 कि.मी. अधिक ☐ प्रखण्ड मुख्यालय ☐

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एंव हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अगूंठा

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म–सी, कौशल विकास की आवश्यकताओं पर आधारित जानकारी प्रपत्र

(प्रत्येक ऐसे युवक जो कि 18 से 35 वर्ष आयु का हो और पात्र व इच्छुक हो तथा अजा/अजजा / महिला की स्थिति में उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष होगी)

क्र.सं.			
परिवार के युवक का नाम			
लिंग			
उम्र			
विकलांग हॉ/नही			
शैक्षणिक योग्यता (टेविल 1 से कोड का प्रयोग)			
जीविकोपार्जन के लिये इच्छुक (हॉ/नही)			
लाभुक की इच्छानुसार कौषल विकास के तीन प्राथमिकता कम में लिखें	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
कौषल विकास के पश्चात आय में बढोत्तरी की उम्मीद लिखें (टेविल नं. 3 से कोड का प्रयोग करे)			
क्या युवक पलायन करने का इच्छुक है (हॉ/नही)			

नोट– इस प्रपत्र के पीछे कोड नं. अंकित है।

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एंव हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अगूंठा

कौशल कोड (फार्म–सी)

टेविल नं. 02		
क्र.	प्रशिक्षण एंव कौशल विकल्प	कोड
1.	कृषि संबंधित	AGR
2.	स्वास्थ्य से संबंधित	AHC
3.	मोटर वाहन मरम्मत संबधित	AUR
4.	बैंकिंग एंव एकाउन्ट से संबंधित	BAN
5.	सौन्दर्य एंव बालों की सजावट से संबधित	BEA
6.	व्यापार एंव वाणिज्य से संबंधित	BSC
7.	निर्माण से संबंधित	CON
8.	निर्माण यंत्र से सबंधित	CEQ
9.	कोरियर एंव रसद संबंधित	COL
10.	बिजली संबंधित	ELE
11.	इलैक्ट्रॉनिक से संबंधित	ELC
12.	वस्त्र उद्योग से संबंधित	FAB
13.	फैशन डिजाइन से संबधित	FAD
14.	प्रतिदिन उपभोग किये जाने वाले समान	FMG
15.	खाद्य प्रंसस्करण और संरक्षण	FPP
16.	वस्त्र निर्माण से संबंधित	GAR
17.	रत्न और आभूषण बनाने से संबंधित	GEM
18.	आतिथ्य (होटल व्यवसाय)	HOS
19.	बिजली उद्योग से संबधित	IEL
20.	सूचना एंव प्रसार से संबंधित	ICT
21.	बीमा से संबधित	INS
22.	जूट से संबंधित	JTD
23.	चमडा एंव खेल सामग्री से संबंधित	LEA
24.	समुद्री इंजीनियरिंग से संबंधित	MRN
25.	सामग्री प्रबंधन से संबंधित	MAM
26.	मीडिया से संबधित	MDA
27.	मेडिकल एंव नर्सिंग से संबंधित	MED
28.	रंग से संबंधित	PAI
29.	*प्लास्टिक से संबंधित*	PLA
30.	*प्रिंटिंग से संबंधित*	PRI
31.	प्रोसेस इंस्टूमिटेशन से संबधित	PRO
32.	उत्पादन से संबंधित	MAN
33.	फ्रिज एंव एसी से संबंधित	REF
34.	गैर पंरपरागत उर्जा से संबधित	RNE
35.	खुदरा व्यपार से सबंधित	RET
36.	सिक्योरटी सुरक्षा से संबंधित	SEC
37.	सॉफट स्किल्स से संबधित	SS
38.	स्वास्थ्य एंव उपचार से संबंधित	SPW
39.	संचार से संबंधित	TLC
40.	सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित	SPG
41.	टूर एण्ड टेवल्स से संबधित	TRV

टेविल नं. 01	
शैक्षणिक योग्यता	कोड
12 वीं	1
10 वीं	2
8 वीं	3
पथमिक	4
निरक्षर	5

टेविल नं. 03	
अपेक्षित मासिक आय	कोड नं.
3000 से कम	1
3001 से 5000 तक	2
5001 से 10000 तक	3
10001 से ज्यादा	4

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म–डी, इंदिरा आवास योजना की पारिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र

1. परिवार के मुखिया का नाम
2. यदि परिवार के मुखिया पुरुष है तो उनकी पत्नी का नाम
3. क्या आपके पास पक्का मकान है हॉ ☐ नही ☐
4. यदि तीसरे प्रष्न का उत्तर नही है तो–
   - a. क्या आप जानते है कि इंदिरा आवास के आंवटन हेतु एक स्थाई प्रतीक्षा सूची है? हॉ ☐ नही ☐
   - b. क्या आपने इंदिरा आवास की स्थाई प्रतीक्षा सूची देखी है ? हॉ ☐ नही ☐
     (जैसे कि दीवाल पट/बैनर/पंचायत में छपे हुयें दस्तावेज)
   - c. क्या आपका परिवार इंदिरा आवास की स्थाई प्रतीक्षा सूची में है हॉ ☐ नही ☐
5. क्या परिवार इंदिरा आवास योजना के तहत धर आंवटित किया गया है सहयोग की मात्रा (किस्तो की संख्या) निर्माण स्तर

स्वीकृत संख्या (अगर हो तो)	लाभुक का नाम	प्राप्त राषि	किस्तों की संख्या	धर के निर्माण का स्तर जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित है
				नीव भराई तक ☐ लिंटल लेवल ☐ लिंटल के उपर ☐ पूर्ण ☐ शौचालय ☐

1. क्या मकान निर्माण पूर्ण हो गया है ? हॉ ☐ नही ☐
2. यदि नही तो धर निर्माण की संभावित तिथि ? माह .... वर्ष ....
3. अगर निर्माण हो चुका है तो क्या धर में रहना शुरुकर दिया है ? हॉ ☐ नही ☐
4. क्या आप कभी ग्राम सभा /वार्ड की बैठक में शामिल हुयें है ? हॉ ☐ नही ☐
5. यदि हॉ तो इंदिरा आवास के चयन हेतु ग्रामसभा/वार्ड में चर्चा हुई थी ? हॉ ☐ नही ☐
6. क्या आप राजमिस्त्री प्रषिक्षण लेने के लिये इच्छुक है हॉ ☐ नही ☐

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एंव हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अगूंठा

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म –ई राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र

1. परिवार के मुखिया का नाम
2. क्या आपके परिवार में किसी को सामाजिक सुरक्षा पेंषन मिल रही है ? हॉ ☐ नही ☐
3. यदि हॉ

नाम			
लिंग			
उम्र			
योजना के नाम (राज्य की योजना का नाम लिखें)			
लाभुक पहचान संख्या / आर्डर नं.			
राशि प्रतिमाह			
अंतिम माह जिसमें पेंशन प्राप्त हुआ था			
कितने माह की पेंशन मिलना बाकी है			

4. ऐसे व्यक्तियों का विवरण जो पेंशन के लिये पात्र है परन्तु उन्हे पेंशन नही मिल रहा है ।

नाम			
लिंग			
उम्र			
समाजिक सुरक्षा वर्ग (वृद्वा / विधवा / विकलांग)			

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एंव हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अगूंठा

यूनिक फार्म न.		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

परिवार की सामान्य जानकारी (Form – F)

वार्ड सं0 - बसावट/टोला का नाम --------------------------------बसावट/टोला का प्रकार (महादलित/अन्य)

1.बैंक खाता संख्या

IFSC Code

बैंक का नाम : बैंक शाखा का नाम

2.आधार नंबर/EID No. है : हाँ ☐ नहीं ☐

अगर हाँ तो आधार नंबर/ या

या

EID No:

3.वोटर आई कार्ड नंबर:

4. घर में पोल से बिजली की उपलब्धता है : हाँ ☐ नहीं ☐

5. घर से कचरा बाहर चिन्हित जगह पर फेंकते हैं : हाँ ☐ नहीं ☐

6.घर से पानी निकासी हेतु नाली है : हाँ ☐ नहीं ☐

अगर हाँ : कच्चा ☐ पक्का ☐

क्या जल निकास की नाली वार्ड के मुख्य नाला से जुड़ा है : हाँ ☐ नहीं ☐

7.घर में जलापूर्ति का मुख्य साधन : चापाकल ☐ सरकारी स्टैंड पोस्ट के नल से जल ☐ संयोजन(पाइप) द्वारा ☐ सार्वजनिक सरकारी नल से ☐ निजी बोरिंग से ☐

अन्य --

8. घर में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय है हाँ ☐ नहीं ☐

9. परिवार के कितने सदस्यों / सदस्य का निम्न योजना के अंतर्गत बीमा हुआ है :

क- जीवन ज्योति (330 रु-/सालाना) ☐

ख- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (12रु-/सालाना) ☐

ग- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ☐ घ- अन्य ☐

11. घर की कोई महिला सदस्य जीविका एवं जीविका संपोषित (महिला विकास निगम/नाबार्ड/ PCI/SGSY/अन्य) स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है : हाँ ☐ नहीं ☐

अगर हाँ तो सदस्य (दीदी) का नाम : ---

समूह का नाम : --

ग्राम संगठन का नाम: ---

12. घर में कुल सदस्यों की संख्या (६० वर्ष से ऊपर) जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रहा है:

13. जन वितरण प्रणाली से जुड़े है तो राशन कार्ड न0

{पारिवारिक श्रेणी में टिक लगायें (√)}	
इंदिरा आवास लाभार्थी -A	
महिला प्रधान -B	
विकलांग -C	
भूमि सुधार लाभार्थी -D	
सीमांत / लघु किसान - E	

दिनांक : स्थान : परिवार के मुखिया नाम एवं हस्ताक्षर

फॉर्म - G

जिला का नाम ---------------- प्रखण्ड का नाम ---------------- पंचायत का नाम ---------------- वार्ड संख्या ----------------

वार्ड में बसावटों/टोलों की कुल संख्या - ☐

टोलों का नाम 1---------------- 2---------------- 3---------------- 4----------------

सार्वजनिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति

1. क्या वार्ड में पंचायत सरकार भवन है ? हाँ ☐ नही ☐

2. क्या पहले से कोई पंचायत भवन बना है : हाँ ☐ नहीं ☐

ग्राम पंचायत कार्यालय कहाँ से संचालित होता है : अपना भवन ☐ किराए का भवन ☐ अन्य ☐

पंचायत भवन (अपना / किराया) में कमरों की संख्या : ----- (शब्दों में भी लिखे ----------------)

पंचायत भवन का आकार(Size/Area फीट में) : लंबाई ---------------- चौड़ाई ----------------

पेय जल के स्रोत की स्थिति

3. पेय जल के मुख्य स्रोत :

वार्ड में सार्वजनिक नल (स्टैंड पोस्ट) से पानी उपलब्ध हैं : हाँ ☐ नहीं ☐

अगर नहीं है, तो पेय जल का मुख्य स्त्रोत क्या है : पाईप द्वारा ☐ चापाकल ☐ कुआँ ☐ बिना ढंका कुआँ ☐ ट्यूब वेल ☐ नदी ☐

नहर ☐ तालाब ☐ अन्य स्रोत : ----------------

स्वच्छता

4. वार्ड में जल निकासी हेतु मुख्य नाला है : हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हॉं तो : ढंका हुआ ☐ बिना ढंका हुआ ☐

अगर हाँ तो: कच्चा ☐ पक्का ☐ हयूम पाईप ☐

नाले के पानी का अंतिम निस्तारण/निकासी की व्यवस्था : हाँ ☐ नहीं ☐

5. वार्ड में कूड़ा कचरा प्रबंधन (फेंकने) की कोई व्यवस्था है : हाँ ☐ नहीं ☐

इसके लिए क्या सामुदायिक कोइ स्थल चिन्हित है : हाँ ☐ नहीं ☐

अगर हाँ तो स्थान की चौहद्दी - पूरब - पश्चिम उत्तर दक्षिण

यातायात एवं संचार

6. वार्ड (टोला,बसावट) ग्राम पंचायत के निकट के मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है : हाँ ☐ नहीं ☐

   अगर हाँ तो सड़क का प्रकार : कच्चा ☐ ईट सोलिंग ☐ पीसीसी ☐ इंटरलॉकिंग टाईल्स ☐ कोलतार की सड़क ☐

7. वार्ड में संचार सेवा प्रदाता : BSNL ☐ Airtel ☐ Vodafone ☐ Idea ☐ Reliance ☐ अन्य ☐ कोई नहीं ☐

आंगनवाड़ी संबंधी प्रपत्र

8. वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र है : हाँ ☐ नहीं ☐

   अगर हाँ तो केंद्र कहाँ संचालित है : अपने भवन में ☐ किराये के भवन में ☐

   अगर अपना भवन है तो क्या भवन के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है : हाँ ☐ नहीं ☐

   अपना भवन है तो जलापूर्ति एवं शौचालय की सुविधा है : हाँ ☐ नहीं ☐

   अपना भवन नहीं होने की स्थिति में आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के लिए सरकारी जमीन 3 से 3.5 डेसीमल उपलब्ध है - हाँ ☐ नहीं ☐

   अगर उपलब्ध है, तो जमीन की चौहद्दी : पूरब - पश्चिम उत्तर दक्षिण

9. वार्ड में जीविका ग्राम संगठन है - हाँ ☐ नहीं ☐ सामूहिक बैठक स्थल है - हाँ ☐ नहीं ☐

   नहीं होने की स्थिति में कोई ऐसा सामूहिक स्थल का विवरण दें जहाँ बैठक आयोजित की जा सके ------------------------------------

10. वार्ड में महादलित टोला/बसावट है : हाँ ☐ नहीं ☐

    अगर हाँ तो टोले की आबादी - 500 से कम ☐ 500 से ज्यादा ☐

    अगर आबादी 500 से ज्यादा है तो क्या सामुदायिक भवन बना है : हाँ ☐ नहीं ☐

    अगर नहीं बना है तो क्या (50*60ft.) का सरकारी स्थान उपलब्ध है : हाँ ☐ नहीं ☐

    अगर हाँ तो स्थान की चौहद्दी - पूरब - पश्चिम उत्तर दक्षिण

11. वार्ड में पिछले 10 वर्ष मे कोई आपदा आई है : हाँ ☐ नहीं ☐

    अगर हाँ, तो किस प्रकार की एवं कितनी बार ....

    क्या कोई सरकारी योजना के तहत सामुदायिक आश्रय स्थल निर्मित है ? हाँ ☐ नही ☐

    अगर हाँ तो वहाँ पेयजल, शौचालय की सुविधा है : हाँ ☐ नही ☐

अन्य आधारभूत संरचना

12. वार्ड में खेल का मैदान है : हाँ ☐ नही ☐

अगर हाँ, तो

a) मैदान में आधारभूत संरचना उपलब्ध है : हाँ ☐ नहीं ☐

b) मैदान का समतलीकरण आवश्यक है : हाँ ☐ नहीं ☐

अगर नहीं, तो खेल मैदान के निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है : हाँ ☐ नही ☐

c) अगर हाँ, तो चौहद्दी - पूरब - पश्चिम उत्तर दक्षिण

13. वार्ड में जन वितरण प्रणाली की दुकान है : ☐ हाँ ☐ नहीं ☐

अगर हाँ तो जनवितरण प्रणाली की दुकान : व्यक्तिगत है ☐ SHG/ VO द्वारा संचालित है ☐ या PACS द्वारा संचालित ☐

14. वार्ड में बिजली की सुविधा (पोल के) माध्यम से हैं : हाँ ☐ नहीं ☐

15. वार्ड में कोई कब्रिस्तान है : हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ तो घेराबंदी है हाँ ☐ नहीं ☐

16. श्मशान

वार्ड में श्मशान है : हाँ ☐ नही ☐

यदि हाँ तो शेड है : हाँ ☐ नही ☐

यदि हाँ तो क्या चबूतरा है : हाँ ☐ नही ☐

17. सार्वजनिक गाड़ी पड़ाव स्थल है : हाँ ☐ नहीं ☐

अगर हाँ तो वहां a) जलापूर्ति एवं शौचालय की सुविधा है : हाँ ☐ नहीं ☐

b) शेड है : हाँ ☐ नहीं ☐

अगर नहीं तो इसके लिए वैकल्पिक सरकारी स्थल उपलब्ध है : हाँ ☐ नही ☐

यदि हाँ, तो चौहद्दी - पूरब - पश्चिम उत्तर दक्षिण

18. क्या वार्ड में उद्यान है : हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ, तो

चौहद्दी - पूरब - पश्चिम उत्तर दक्षिण

यदि नहीं, तो वैकल्पिक सरकारी स्थल उपलब्ध है : हाँ ☐ नही ☐

यदि हाँ तो चौहद्दी - पूरब - पश्चिम उत्तर दक्षिण

वार्ड स्तर / पंचायत स्तर पर ली गयी सामुदायिक योजनायों (मनरेगा) का संकलन प्रपत्र

क्रमांक	योजना का नाम	अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित लागत	प्राथमिकता क्रम

वार्ड स्तर / पंचायत स्तर पर ली गयी अन्य सामुदायिक योजनायों (उर्जा, सिचाई , स्वच्छता , ठोस कचरा प्रबंधन, जैसी योजना जो मनरेगा से नहीं ली जा सकती है) का संकलन प्रपत्र

क्रमांक	योजना का नाम	अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित लागत	प्राथमिकता क्रम

प्रपत्र - 01

मनरेगा अन्तर्गत IPPE-II के तहत वार्ड सभा की कार्यवाही के लिए पंजी का प्रपत्र :-

मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2016-17 का श्रम बजट एवं कार्य योजना बनाने हेतु वार्ड सभा की बैठक की कार्यवाही :-

1. वार्ड संख्या .... 2. बैठक की तिथि .... 3. बैठक का स्थान ....

4. अध्यक्ष का नाम .... 5. उपस्थित मनरेगा कर्मी का नाम ....

6. उपस्थित सरकारी सेवक का नाम ....

7. वार्ड में उपस्थिति (व्यक्तियों के हस्ताक्षर / अँगूठे के निशान स्थान रखें) :-

क्र.सं.	वार्ड सभा में उपस्थित सदस्यों का नाम	जॉब कार्ड संख्या (यदि हो तो)	हस्ताक्षर / अँगूठे का निशान
1	2	3	4

8. वार्ड सभा द्वारा पारित प्रस्ताव :-

(1) **बेस लाईन सर्वेक्षण के आधार पर काम की मांग के अनुसार महीने-वार श्रम बजट के संबंध में प्रस्ताव** :-

महीना	**कुल मानव दिवस की आवश्यकता**
अप्रैल	
मई	
जून	
जुलाई	
अगस्त	
सितंबर	
अक्टूबर	
नवम्बर	
दिसम्बर	
जनवरी	
फरवरी	
मार्च	
कुल	

(2) मनरेगा अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत योजनाओं की समीक्षा :-

क्र.सं.	योजना का नाम	अद्यतन प्रगति	वार्ड सभा का प्रस्ताव
1	2	3	4

(3) मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2016-17 में ली जाने वाली नई योजनाएं संबंधी प्रस्ताव :-

(i) **सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के संबंध में वार्ड सभा का प्रस्ताव :-**

क्र.सं.	प्रक्षेत्र	प्रस्तावित योजना का नाम	अनुमानित व्यय		कुल व्यय
			श्रम	सामग्री	
1	2	3	4	5	6
1	जल संरक्षण				
2	,,				
3	,,				
4	जल निकासी / चौर निकास / बाढ़ नियंत्रण कार्य				
5	,,				
6	,,				
7	सार्वजनिक तालाब की खुदाई				
8	,,				
9	जमींदारी बाँध				
10	,,				
11	आहर / पईन				
12	,,				
13	वृक्षारोपण				
14	,,				
15	,,				
16	,,				
17	भूमि विकास				
18	,,				
19	सम्पर्क पथ / पी.सी.सी. पथ				
20	,,				
21	,,				
22	आँगनबाड़ी केन्द्र				
23	खेल का मैदान				
24	सार्वजनिक तालाब / कूप निर्माण				
25	सार्वजनिक शौचालय / स्वच्छता संबंधी कार्य				
26	मनरेगा भवन				
27	अन्यान्य				
28	,,				
29	,,				

प्रपत्र - 01 -C

(ii) मनरेगा अंतर्गत निजी भूमि से संबंधित कार्य के संबंध में वार्ड सभा का प्रस्ताव :-

(पंचायत रोजगार सेवक)

(वार्ड सदस्य)

प्रपत्र - 02

मनरेगा अंतर्गत IPPE-II के तहत ग्राम सभा की कार्यवाही के लिए पंजी का प्रपत्र :-

मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2016-17 का श्रम बजट एवं कार्य योजना बनाने हेतु ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही :-

1. ग्राम पंचायत का नाम .... 2. बैठक की तिथि .... 3. बैठक का स्थान ....

4. अध्यक्ष का नाम .... 5. उपस्थित मनरेगा कर्मी का नाम ....

6. उपस्थित सरकारी सेवक का नाम ....

7. ग्राम पंचायत में उपस्थिति (व्यक्तियों के हस्ताक्षर / अँगूठे के निशान स्थान रखें) :-

क्र.सं.	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों का नाम	जॉब कार्ड संख्या (यदि हो तो)	हस्ताक्षर / अँगूठे का निशान
1	2	3	4

8. ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव :-

(1) **बेस लाईन सर्वेक्षण के आधार पर काम की मांग के अनुसार महीने-वार श्रम बजट के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव :-**

महीना	**कुल मानव दिवस की आवश्यकता**
अप्रैल	
मई	
जून	
जुलाई	
अगस्त	
सितंबर	
अक्टूबर	
नवम्बर	
दिसम्बर	
जनवरी	
फरवरी	
मार्च	
कुल	

Page 1 of 4

प्रपत्र - 02 A

(2) मनरेगा अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत योजनाओं की समीक्षा :-

क्र.सं.	योजना का नाम	अद्यतन प्रगति	ग्राम सभा का प्रस्ताव
1	2	3	4

प्रपत्र - 02 – B

(3) मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2016-17 में ली जाने वाली नई योजनाएं संबंधी प्रस्ताव :-

(i) **सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के संबंध में के संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव:-**

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रक्षेत्र	अनुमानित व्यय		कुल व्यय
			श्रम	सामग्री	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

प्रपत्र - 02 - C

(ii) मनरेगा अंतर्गत निजी भूमि से संबंधित कार्य के संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव :-

(पंचायत रोजगार सेवक)

(मुखिया)

Page 4 of 4

प्रपत्र - 03

मनरेगा अंतर्गत IPPE-II के तहत निजी / वास भूमि पर कार्य के लिए आवेदन प्रपत्र

भाग- 1

1. नाम -
2. पिता / पति का नाम -
3. वार्ड सं0 -
4. ग्राम -
5. ग्राम पंचायत का नाम -
6. प्रखंड का नाम -
7. आवेदक की श्रेणी -
8. आवेदक की जाति -
9. जॉब कार्ड सं0 -
10. निजी वास भूमि की विवरणी जिसपर निम्नलिखित कार्य करना प्रस्तावित है :-

खाता सं0................... खेसरा सं0................... मौजा................... रकबा...................

चौहद्दी :- पू0 .... प0................... उ0................... द0...................

11. प्रस्तावित कार्य का विवरण :-
12. आवेदक का वर्त्तमान व्यवसाय :-
13. प्रस्तावित कार्य संबंधी अनुभव

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सही है एवं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह आवेदन पत्र समर्पित कर रहा हूँ । मैनें मनरेगा के अनतर्गत निजी / वास भूमि पर किए जाने वाले कार्यों से संबंधित पूरी जानकारी हासिल करने के उपरान्त आवेदन पत्र भरा है । मैं मनरेगा के मार्गदर्शिका के अनुरूप अपने निजी / वास भूमि पर कार्य कराने के लिए इच्छुक हूँ ।

आवेदक का हस्ताक्षर / अँगूठे का निशान

भाग- 02

मनरेगा अंतर्गत IPPE-II के तहत निजी / वास भूमि पर कार्य के लिए आवेदन प्रपत्र

पंचायत रोजगार सेवक का सत्यापन

आवेदन में वर्णित उपरोक्त सूचनाओं का सत्यापन किया और सही पाया ।

पंचायत रोजगार सेवक का पूरा नाम :-

पंचायत रोजगार सेवक का हस्ताक्षर

....

प्राप्ति रसीद

श्री / श्रीमती .... पिता / पति का नाम ....वार्ड सं0 ....ग्राम ....को प्राप्त हुआ । इसके प्रमाण स्वरूप यह रसीद दी जा रही है ।

कार्यक्रम पदाधिकारी / पं0 रो0 से0 का हस्ताक्षर

Page 1 of 1

प्रपत्र - 04

मनरेगा अन्तर्गत निजी भूमि पर अनुमत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त आवेदनों के प्रखंड / पंचायत स्तर पर समेकन का प्रपत्र ।

प्रक्षेत्र / श्रेणी का नाम - **उप प्रक्षेत्र / श्रेणी का नाम**

क्र0सं0	आवेदक का नाम	जॉब कार्ड सं0	आवेदक की श्रेणी	आवेदक की जाति	निजी/वास भूमि का खाता/खेसरा/मौजा/चौहद्दी
1	2	3	4	5	6

मनरेगा के अन्तर्गत निजी / वास भूमि पर प्रस्तावित कार्य	आवेदक का वर्त्तमान व्यवसाय	प्रस्तावित कार्य संबंधी अनुभव	अभ्युक्ति
7	8	9	10

प्रपत्र- 04

वार्ड स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का फॉर्म G का संकलन प्रपत्र

पंचायत का नाम - .... वार्ड संख्या - ....

क्र0सं0	ग्राम विकास योजना अंतर्गत 14वीं वित्तीय आयोग से प्राप्त होने वाली राशि को व्यय करने वाले प्रक्षेत्र	वार्ड में उपलब्धता (v करें)		अगर हाँ (v करें)		कौलम 4 में नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित योजना
		हाँ	नहीं	मरम्मती आवश्यक है	मरम्मती आवश्यक नहीं है	
1	2	3	4	5	6	7
1	पंचायत सरकार भवन					
2	पंचायत भवन					
3	पेय जल हेतु सार्वजनिक नल (स्टैंड पोस्ट)					
4	जल निकासी हेतु मुख्य नाला					
5	कचरा प्रबंधन की व्यवस्था					
6	वार्ड में सड़क है					
	a) वार्ड (टोला,बसावट) का संपर्क पथ ग्राम पंचायत के निकट के मुख्य सड़क से जुड़ाव					
7	वार्ड में इटरनेट कन्नेक्टिविटी है					
8	आंगनवाड़ी केंद्र					
9	जीविका ग्राम संगठन का बैठक स्थल					
10	महादलित टोला/बसावट में सामुदायिक भवन					
11	आश्रय स्थल (आपदा प्रभावित क्षेत्र)					
12	खेल का मैदान					
13	जन वितरण प्रणाली की दुकान					
14	बिजली की सुविधा (पोल से)					

ग्राम पंचायत विकास योजना - फॉर्म - G वार्ड स्तरीय सर्वेक्षण प्रपत्र

15	कब्रिस्तान a) घेरा बंदी है					
16	श्मशान a) चबूतरा b) शेड					
17	सार्वजनिक गाड़ी पड़ाव a) जलापूर्ति एवं b) शौचालय की सुविधा					
	c) शेड की सुविधा					
18	वार्ड में उद्यान					
19	वार्ड में हाट की स्थिति a) शेड की उपलब्धता					
	b) शौचालय की उपलब्धता c) जलापूर्ति					

पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (फॉर्म G) (बुनियादी सुविधा) का वार्ड वार संकलन प्रपत्र

जिला का नाम ---------------------------------- प्रखंड का नाम ---------------------------------- पंचायत का नाम ----------------------------------

क्र0 सं0	बुनियादी सुविधा / प्रक्षेत्रों का नाम जिसमें 14वें बित आयोग की राशि से योजना ली जानी है :-	वार्ड संख्या जहाँ योजना का चयन किया गया है (√ करें)															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	पंचायत सरकार भवन																
2	पंचायत भवन																
3	पेय जल हेतु सार्वजनिक नल (स्टैंड पोस्ट)																
4	जल निकासी हेतु मुख्य नाला																
5	कचरा प्रबंधन की व्यवस्था																
6	वार्ड में सड़क की स्थिति a) वार्ड सड़क के भीतर सड़क निर्माण की आवश्यकता b) वार्ड के भीतर सड़क मरम्मती की आवश्यकता c) वार्ड (टोला,बसावट) का संपर्क पथ ग्राम पंचायत के निकट के मुख्य सड़क से जुड़ाव d) संपर्क पथ में मरम्मती करने की आवश्यकता																
7	संचार सेवा प्रदाता																
8	आंगनवाड़ी केंद्र																
9	जीविका ग्राम संगठन का बैठक स्थल																
10	महादलित टोला/बसावट में सामुदायिक भवन																
11	आश्रय स्थल (आपदा प्रभावित क्षेत्र)																
12	खेल का मैदान																
13	जन वितरण प्रणाली की दुकान																
14	बिजली की सुविधा (पोल से)																
15	कब्रिस्तान																
16	श्मशान																
17	सार्वजनिक गाड़ी पड़ाव																
18	वार्ड में उद्यान																
19	वार्ड में हाट की स्थिति																

ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 14वीं वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि से ली जाने वाली पंचवर्षीय ग्राम विकास योजना की सूची

जिला का नाम ------------------------------- प्रखंड का नाम --------------------------- पंचायत का नाम ------------------------------------

क्र0सं0	योजना का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	वार्ड संख्या	कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित वर्ष
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 14वीं वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि से ली जाने वाली वर्ष 2015-16 की वार्षिक ग्राम विकास योजना की सूची

जिला का नाम ---------------------------------- प्रखंड का नाम ------------------------------ पंचायत का नाम --

क्र0सं0	योजना का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	वार्ड संख्या
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 14वी वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि से ली जाने वाली वर्ष 2016-17 की वार्षिक ग्राम विकास योजना की सूची

जिला का नाम ---------------------------------- प्रखंड का नाम ------------------------------ पंचायत का नाम --

क्र0सं0	योजना का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	वार्ड संख्या
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Annexure 1

Forms to be printed for BPT Kit

S. No.	Content	Responsibility	
1	SECC Base form (Download From www.nrega.nic.in)	PO and BPM	
2	Form A- 1 Page B- 4 Page C- 2 Page D- 1 Page E- 1 Page F- 1 Page(Individual survey format) G-3 Page(For GPDP)	DDC	
3	List of Active Jobcard holders in the *Gram Panchayat*	PO and BPM	
4	List of all the works already done under MGNREGA in the past and the list of present shelf of works in the GP	PO and BPM	
5	List of IAY beneficiaries along with the waiting list	BDO	
6	List of families already surveyed for Skill program	PO and BPM	
7	List of beneficiaries receiving Pension	BDO	
8	Blank format for registration of new job cards	PO and BPM	
9	Consolidation format of GPDP	DDC	
10	Consolidation format of MGNREGA	DDC	

Stationary Item for BPT Kit

Sl. No.	ITEMS
1	Pen
2	Pencil
3	Eraser & cutter
4	Note pad
5	Stapler with pins
6	Stamp pad
7	Chart paper
8	Sketch pen
9	Marker pen
10	Glue stick
11	Folder
12	Flex (5*2)

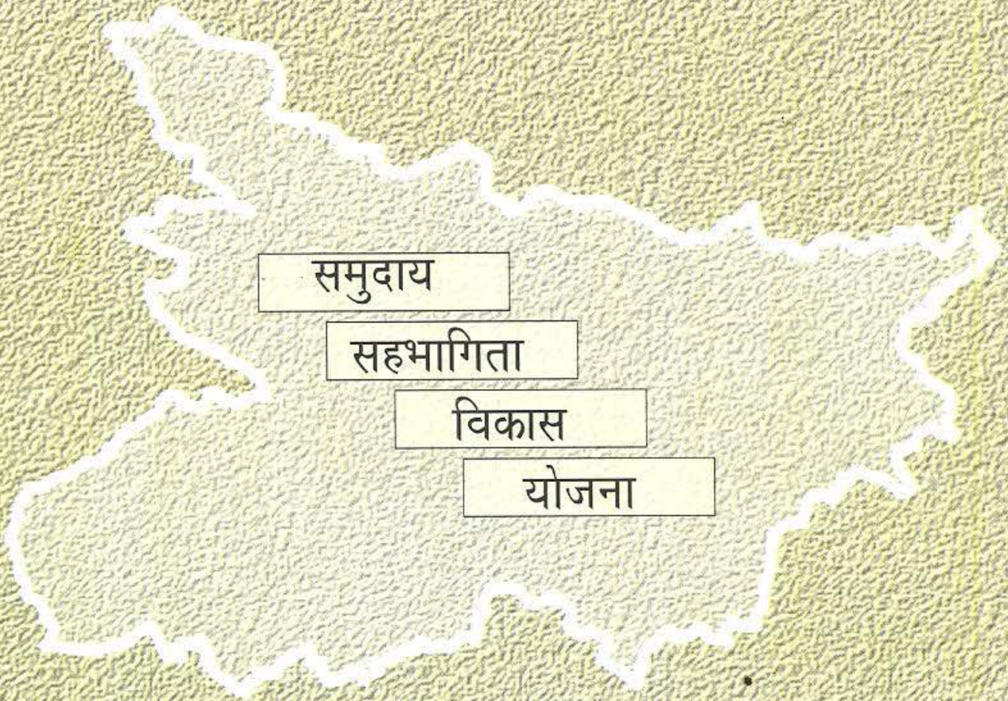

● ग्रामीण विकास विभाग ● पंचायती राज विभाग ● जीविका

बिहार सरकार